



Estt. Srl. No. 109/2023
RBE No- Nil

EAST COAST RAILWAY
प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी का कार्यालय/
Office of the Principal Chief Personnel Officer
रेल सदन, द्वितीय तल, भुवनेश्वर - 751017
Rail Sadan, IInd Floor, Bhubaneswar-751017

ECoR/Pers/R/Transfer.

Date:22.09.2023

**ALL PHODs/CHODs,
DRMs/CWM/CAO &CPM,
East Coast Railway, Bhubaneswar.**

Sub: Transfer of Non-Gazetted Railway employees – Master Circular No - 24.

A copy of Railway Board's Letter No. E(NG)I/2019/TR/10, dated 17.08.2023 on the quoted subject is forwarded herewith for information guidance and necessary action.

**Digitally Signed by PENTA
RADHA KRISHNA
Date: 22-09-2023 18:21:13
Reason: Approved**

Encl: As above,

**(Penta Radhakrishna)
Assistant Personnel Officer(HQ)
For Principal Chief Personnel Officer.**

Copy to:-

1. Secy. to GM & AGM,
2. Chairman-RRB&RRC-BBS,
3. Dy. CPOs /Sr. DPOs, DPOs/SPOs, WPO/APOs of Personnel Department
4. General Secretary's- ECoRSC & ECoRSU.



सत्यमेव जयते

भारत सरकार **GOVERNMENT OF INDIA**
रेल मंत्रालय **MINISTRY OF RAILWAYS**
(रेलवे बोर्ड **RAILWAY BOARD**)

अराजपत्रित रेलवे कर्मचारी का स्थानान्तरण - मास्टर परिपत्र

Transfer of Non-Gazetted Railway employees – Master Circular

(24)

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड RAILWAY BOARD)

No. E(NG)I/2019/TR/10

New Delhi, dated 17.08.2023

The General Managers (P)
All Indian Railways,
Production Units & others.

Sub:- Transfer of Non-Gazetted Railway employees – Master Circular.

Railway Board has issued instructions from time to time through various letters/instructions on the subject of transfer of Non-Gazetted Railway employees under the Zonal Railways. Based on instructions issued on the subject till 1991, Master Circular no 24 on Transfer was issued on 8.04.1991. The Master Circular has since been updated duly incorporating all the instructions issued so far on the subject for the information and guidance of all concerned.

2. Transfer means the movement of a Railway employee from one headquarter station in which he is employed to another such station, either;

- (i) To take up the duties of a new post; or
- (ii) In consequence of a change of his headquarter and seniority units.

(Ref: Rule 226 to 231 – Indian Railway Establishment Code, Vol. I, 1985 Edition)

3. Transfer may be ordered either on a temporary basis or on a basis otherwise than temporary. Transfer is not a punishment.

3.1 Frequent transfer of Railway employees should not be resorted to. Wherever the transfer of a Railway employee is temporary, the same should be mentioned in the transfer order.

(Ref:- Board's letter No. E(NG)I-81/TR/19 dated 23.5.81).

4. Transfers otherwise than on temporary basis, are necessitated by administrative requirements or occasioned by consideration of requests received from the Railway employees.

4.1 Transfer of a Railway employee ordered as a result of his promotion should be carried out by the employee as early as possible in his own interest.

4.2 (i) Whenever any curtailment in a cadre takes place and Railway employees have to be transferred, as a general rule, the junior most employees should be transferred first.

(Ref: Board's letter No. E(NG)66/TR2/20 dated 27.7.66)

(ii) If there is closure of activity on a particular station on a Railway like closing down a shed or a particular establishment necessitating transfer of Railway employee enmasse, the matter should be

discussed with the Labour, to help in proper arrangement being made for dealing with the human problems that might arise in such cases.

(Ref: Board's letter No. E(NG)II/77/TR/21 dated 10.06.77)

5. Procedure for processing transfer application:

Railways should follow the following guidelines while processing the transfers of Railway employees from one Unit/Division/Railway to another Unit/Division/Railway:

- (i) The application containing all the necessary details should be made in as many copies as the levels/offices through which the application has to pass through including the Unit/Division/Railway to which the transfer is sought for.
- (ii) All the copies should have a recent passport size photograph of the employee firmly affixed/pasted on the top right hand corner of the application.
- (iii) The application should be accompanied by an additional identical passport size photograph which may be affixed/pasted similarly on the Memorandum/Order sparing the employee for transfer as and when issued.
- (iv) The immediate Supervisor/Officer of the employee concerned before forwarding the application for further necessary action should attest the photograph affixed on each copy of the application in such a manner that the signature and the rubber stamp below that appear partially on the photograph and partially on the paper outside the photograph.
- (v) The rubber stamp should clearly indicate the name and designation of the Supervisor/Officer attesting and forwarding the application.
- (vi) Each level/Office will retain a copy of the application complete in all respects as per details mentioned above before forwarding the same to the higher authority or Unit to which the transfer has been sought for, as the case may be.
- (vii) The application should be registered and appropriate priority number allotted as per extant procedure and the employee advised of the same.
- (viii) After the request for transfer has been accepted and necessary orders issued by the competent authority, Memorandum/Order sparing the employee should have the photograph of the employee (received from him at the time he made the request initially) pasted on it duly attested in the manner indicted in (iv) above. The Memorandum/Order should also have the signature of the transferred employee and his left thumb impression both of which should be duly attested by the officer signing the Memorandum/Order with his name and designation appearing below the signature.
- (ix) When the transferred employee presents himself in the new Unit with the original Memo sparing him for transfer, necessary details like his photograph, signature etc should be carefully matched before he is allowed to join. If, in any case, the details match prima-facie but still reasonable doubt persists and consultation/enquiry/verification of genuineness is warranted with the Railway/Division/Unit from which the employee has been transferred, the same can be done as soon as possible but within a month of his joining.
- (x) All communications regarding transfer should be signed by a Gazetted Personnel Officer with his name and designation appearing below the signature.
- (xi) The LPC should be issued immediately and signed by a Gazetted Accounts Officer with his name and designation appearing below the signature.

- (xii) LPC should be sent under a covering letter to the new Unit to which the employee has been transferred through special messenger as far as possible whose identity should be established and noted at the time of accepting the document.
- (xiii) The Service Book of the employee concerned duly completed should also be sent to the new Unit in the same manner as in (xii) above.

5.2 The above procedure will apply mutatis mutandis to all transfers including transfers on administrative ground and transfer on mutual exchange basis.

(Ref:- Board's letter No. E(NG)I-2001/TR/16 dated 21.11.2001 and E(NG)I-2014/TR/14 dated 07.04.2015)

6. Periodical Transfer

6.1 (i) Railway employees holding sensitive posts, including those who frequently come into contact with public or/and contractors/ suppliers, are required to be transferred out of their existing post/seat or station as the case may be, after every four years.

(ii) The instructions for periodical transfer of Railway employee cover two broad categories of staff:-

- (a) The first category includes staff of Commercial Department (such as Commercial Supervisor, Reservation Clerks/Booking Clerks, Staff dealing with all types of Commercial Contracts/licenses, Ticket Checking staff etc.) and the staff of the Operating Department (SSs/SMs/ASMs etc.)
- (b) In order to avoid large scale dislocation in the case of this category of staff, periodical transfer may as far as possible, be effected without involving a change of residence of the staff concerned so long as the fundamental objectives of such transfers can be achieved by transferring such staff to a different location in the same station or to a different station in the same urban agglomeration.
- (c) In the second category, consisting mainly of staff working in offices such as Pay Bill Sections, Stores Offices, Accounts Offices, Fuel Sections, Medical Department, etc who cannot normally be transferred to a different place for reasons like the seniority unit being different/very small, the office being localized etc., they are to be shifted to a different non-sensitive seat in the same place to meet the requirement of periodical transfer.
- (d) Posts in the different department which have been identified as sensitive posts for the purpose of periodical transfer are as follows:-

A. Accounts Department:

1. Staff passing contractors/Firms Bills
2. Staff dealing with claims/refund and wharfage/demurrage for general public;
3. Cheque writers;
4. Cashiers;
5. Staff dealing with Pension/PF claims;
6. Staff dealing with passes/ release of unpaid wages; and
7. Staff dealing with post audit of paid vouchers and issue of acquaintance.
8. TIAs/ISAs/SVs

B. Civil Engineering Departments:

1. JE/SE/SSE (Works & P. Way) in charge of Stores/dealing with Contractors/accepting supply of stores.

2. IOWs/PWIs in charge of stores;
3. Bill Clerks;
4. Material checking Clerk/Sore Clerks;
5. Time Keepers;
6. Works Accountants;
7. Asstt. Superintendents/Superintendents in charge of Stores Account.
8. Staff dealing with transfers/ promotion/ sanction of loans & advances and issue of Passes/PTOs/Leave accounts/local purchases; and
9. Draftsmen/ Estimators in Divisional Drawing Office checking Contractors' bills.

C. Commercial Department:

1. Goods/ Parcels/ Luggage Clerks;
2. Reservation/ Booking Clerks;
3. Ticket Collector/ TTEs/ Conductors;
4. Reservation/ Goods Supervisors;
5. Staff dealing with Wharfage/ Demurrage cases;
6. Staff dealing with all types of Commercial Contracts/licenses;
7. Staff dealing with city booking/outages/RTSA (Railway Ticket Service Agents);
8. Staff dealing with claims;
9. Sectional CMI & Sectional Claims Inspectors;
10. Staff dealing with revenue earning and commercial publicity.

D. Electrical Departments:

1. Stores Clerk;
2. Establishment Clerk/ Time Keepers;
3. Assistant Superintendent/ Superintendent Stores in Divisional Offices;
4. Assistant Superintendent/ Superintendent Works in Divisional Office;
5. Air conditioned Coaches in charge/ coach attendant;
6. Foreman In-charge of Shop;
7. Mileage Clerk/ Shed Notice Clerk;
8. Staff dealing with Tender/ Contracts and purchasing stores.

E. Mechanical Department:

1. Store Clerk;
2. Bill Clerk/ Establishment Clerk;
3. Time Keeper;
4. Fuel Inspector/ Fuel Issuer/ Fuel Clerk in Sheds;
5. Mileage Clerk/ Shed Notice Clerk in Sheds;
6. Staff dealing with Tenders/ Contracts, purchase of stores.
7. Section Engineer/Sr. Section Engineer dealing with disposal of scrap.

F. Medical Department:

1. Pharmacists looking after the drug stores;
2. Staff In-charge of Kitchen Stores;
3. Staff writing out Sick/ Fit certificates.
4. Clerks/Pharmacists dealing with periodical medical examinations.
5. Staff dealing with passing of bills of firms supplying materials to Railways.
6. Staff dealing with passing of medical reimbursement bills to non-railway Hospitals.
7. Health and Malaria Inspector designated as Food Safety Officer

G. Personnel Department:

1. Bill Clerk;
2. Staff dealing with settlement cases/ advances; and
3. Cadre Section staff or staff dealing with recruitment/ promotion/ transfer.

H. Stores Department:

1. Tender Clerks/ Disposal Clerk/Purchases Section In-charge (Head Clerk/ Assistant Superintendent/ Demand Clerk (dealing with operation of rate contract).
2. Assistant Conf. Tender, Clerk/ Tender Opening Clerk/ Sample Clerk/ Superintendent/CTC;
3. Section In-charge (Head Clerk/Assistant Superintendent)/ Registration Clerk in Purchase General Registration;
4. Receipts/ Inspection Supervisors In-charge (Ward Keeper, ASKP/DSKP) and Group 'C' staff working under them, Local purchase staff.
5. Sales section in charge (ASKP/DSKP) and staff working under them;
6. Scrap yard/ Returned Store section In-charge (ASKP/ DSKP) Ward Keeper and Group 'C' staff working under them; and
7. Staff in Purchase Section of EA/DRM of DCOS of Division.

I. Operating Department:

1. Station Superintendents;
2. Station Masters/ Asstt. Station Masters except those working/posted as Cabin Station Masters and Way Side stations/ Crossing Stations involved only in train passing duties and not doing any commercial duties.
3. Station Clerk;
4. Train Clerk dealing with package work;
5. Stock Controller/ Coaching Controller in Control Rooms;
6. The desks dealing with mileage bills/ operating restrictions, distribution of uniforms, traffic stores and charge sheets/ wagon allotment section dealing assistants in the office of DOSs/ DCSs; and
7. Desk dealing with Commodity Section and Stores Section in the COPS's office.

J. S & T Department.

1. JEs/SEs(Signal) and JEs/SEs (Telecom) independent in-charge of Stores Depots, handling Tender and Contracts and Preparation of Bills.
2. Bill Clerk/ Time Keeper/ Establishment Clerk;
3. Stores Clerk/ Stores Issuer.
4. Office Clerks/Superintendents dealing with tenders and contracts, verification of bills and indents for purchase of store.

(Ref:- Board's letter No. E(NG)II/78/TR/85 dated 27.4.79, E(NG)II/78/TR/82 dated 7.2.80, E(NG)II/80/TR/28 dated 22.8.80, 31.12.81, 19.2.86, 16.10.87 and E(NG)II/87/TR/34/NFIR/JCM/DC dated 27.9.89, E(NG)I-94/TR/29 dated 2.5.95, E(NG)I-2001/TR/22 dated 21.5.2002, E(NG)I-2002/TR/19 dated 13.9.2002 & 23.2.2006, E(NG)I-94/TR/29 dated 28.3.2005, E(NG)I-2007/TR/27 dated 1.4.2009, E(NG)I-2020/TR/8 dated 18.08.2020).

6.2 For clerical staff working on sensitive posts/seats, rotational shifting from desk to desk will meet the requirement of periodical transfer.

(Ref: Board's letter No. E(NG)II/78/TR/85 dated 27.4.79)

6.3.1. Transfers ordered at the instance of Vigilance:

Transfers are ordered in certain cases at the instance of the Vigilance Organization/ Special Police Establishment, to facilitate proper enquiries being made etc. In order to ensure that there is no harassment and/or victimization on this account, the DRM in respect of Divisionally controlled staff and the CPO(A) in respect of Headquarters controlled staff may hear representations of genuine grievance, if any made before a final decision is taken to effect the transfer. This procedure will not, however, apply to the cases of transfer of officer bearer(s) of the recognized Unions, who are governed by a separate set of orders.

(Ref:- Board's letters No. E(NG)II/77/TR/112 dated 6.2.78 and 27.5.78).

6.3.2 Whenever a transfer order is issued on the basis of complaints, CBI/Vigilance enquiries etc. by the competent authority, and thereafter it is proposed to cancel the transfer order without the employee having actually carried out the transfer order, or to bring back the employee concerned to the original place of posting within one year, the competent authority should obtain the approval of the next higher authority after giving full details regarding the reasons requiring change in the transfer orders. It should also be the endeavour of Railway Administration that an employee undergoing penalty as a result of a vigilance case is not posted against any post involving public dealing especially in areas prone to corruption.

(Ref:- Board's letter No. E(NG)I/80/TR/28 dated 21.7.88)

6.3.3 Ticket Checking staff suspected to be indulging in malpractices should as a matter of policy, be invariably transferred on inter-divisional/inter zonal basis as a measure of campaign against rampant social evil .

The repatriation of delinquent Railway staff transferred to other Railways/Divisions, on Vigilance/Disciplinary grounds back to their parent Railway Division , may be determined with respect to the different types of cases in the following ways:

- (i) Cases ultimately culminating in exoneration: Requests, if any, received from the concerned staff for posting back to the original(parent) Railway/Division may be considered by the General Manager(s) at any time after the closure of D&AR proceedings; in other words, no minimum time limit on the applicant's stay in a foreign Railway/Division would be applicable.
- (ii) Cases ultimately culminating in imposition of a minor penalty: Request, if any, received from the concerned staff for a posting back to the original(parent) Railway/Division may be considered by the General Manager(s) only after a lapse of 3 years beyond the date of completion of the period of punishment.
- (iii) Cases ultimately culminating in imposition of a major penalty: Requests, if any, received from the concerned staff for a posting back to the original (parent) Railway/Division may only be considered by the General Manager(s) after a lapse of at least 6 years beyond the date of completion of the period of punishment.
- (iv) In respect of cases covered under Para (ii) and (iii) above, posting back at precisely the office/place/station at which the irregularity had been originally committed/detected by Vigilance is not to be allowed.
- (v) Requests for a posting back to the original (parent) Railway/Division shall not be considered in case of employees falling in the category of "habitual" offenders (those against whom offences have been lodged repetitively) and/or employees against whom (other) vigilance -related matters are pending at the time of consideration of the request.

Powers in respect of the above provisions shall be exercised by the General Manager(s) of the concerned Zonal Railways/Production Units personally and shall not be delegated further.

Further, owing to bifurcation of Railways, when the staff transferred to different division on same Railway on administrative ground landed up in different Division on the same Railway then the request for transfer by the staff who were earlier shifted to another Division on administrative ground/vigilance ground, may be considered for transfer to their original Railway, but not to their original Division on case to case basis, subject to acceptance by both the concerned General Managers i.e. relieving and accepting.

(Ref:- Board's letter No. E(NG)I-2004/TR/22 dated 23.10.2006, No. E(NG)I-2004/TR/22 dated 25.09.2016).

6.4 Transfer of Railway employees from one unit of seniority to another unit of seniority on administrative grounds except on promotion/ due to shrinkage of cadre/ legal recruitments etc., should be ordered rarely and in public interest only e.g. in case where the conduct of an employee is under investigation or where in the interests of the Administration, it is considered that the Railway employee should be kept at another station. In such case of transfer, the Railway employees so transferred are given protection of seniority, causing hardship to the staff awaiting promotion in the unit to which they have been transferred. Therefore, such transfers should be ordered only when absolutely inescapable. Where an enquiry is pending against the Railway employee, the same should be processed expeditiously and the matter finalized as early as possible, so that the Railway employee may be transferred back to his original unit of seniority.

(Ref:- Board's letter No. E(NG)I/68/SR6/28 dated 25.1.69).

7. Transfer on the basis of one way own request

7.1 Transfer of Railway employees on consideration of their requests within the same unit of seniority does not entail loss of seniority to the Railway employees concerned. The requests are normally based on family convenience or educational facilities, etc. Where there are unpopular stations from which the Railway employees have sought transfer, it should be ensured that such stations are manned to the authorized strength by prescribing a minimum period of service at such stations as a prerequisite to transfer to popular station by registration.

(Ref:- Board's letters No. E(NG)II/77/TR/14 dated 10.1.71).

7.2 The requests for transfers should be dealt with in an organized manner and there should not be any occasion for any grievance in the mind of the staff in regard to handling of their request. If a vacancy exists in the cadre at the place where the employee seeks transfer, there should be no difficulty in immediately accepting the request and informing the cadre authorities from where the transfer is to be effected. Proper registers should be maintained in the units of Division/Workshop/ Zonal Headquarter.

(Ref:- Board's letters No. E(Rep)I-83AD1/Misc/Staff Griv. Dated 25.5.83 and E(NG)I-83/TR/26 dated 6.6.83).

7.3 Where the requests involve transfer to a different unit of seniority/another Division on the same Railway/ another Railway, transfer should be ordered after clearance from all sources and acceptance by the new unit. Request transfers are allowed only in initial recruitment grades or in such intermediate grades in which there is an element of direct recruitment on bottom seniority. An employee is required to have completed at least five (05) years of Railway service including probation period, training period wherever prescribed before seeking request transfer to another Zonal Railway. However, General

Managers, in consultation with recognized Trade Unions, may increase the minimum service period for Inter-Railway Transfer from 5 years to 10 years for specific categories in non-gazetted cadre, keeping in view the need for manning important posts for smooth train operation. The employee must possess the educational qualification prescribed for direct recruitment for the grade to which he is seeking transfer. The employee so transferred is to be adjusted against a direct recruitment quota vacancy in the new unit and his seniority is to be fixed below all the existing employees in the new unit - permanent or ad-hoc in the relevant grade on the date they join the new unit irrespective of their length of service and status in the former unit. No transfers on personal requests should be ordered in intermediate grades where all the vacancies are filled entirely by the promotion of staff in the lower grade(s).

The GMs may take a decision to allow request transfer of Non-Gazetted railway employees on out-of-turn basis. Such requests may be considered only in rare cases, where NOC has been received from accepting Railway and have been approved by competent authority in the parent Railway. GMs may also consider to forwarding of such cases of request transfer on out of turn basis when exceptional circumstances so warrant its consideration.

(Ref:- Board's letters No. E(NG)65SR6/31 dated 30.9.65, 29.1.66, 1.4.66, E(NG)II/71/TR/1 dated 31.3.71, E(Rep.)I/88AE/12/6/115 dated 7.6.88, E(NG)I-99/TR/15 dated 8.2.2000, E(NG)I-2015/TR/20 dated 23.04.2019, E(NG)I-2017/TR/24 dated 10.03.2022, E(NG)I-2017/TR/24 dated 23.03.2022, E(NG)I-2018/TR/14 dated 17.9.2018 and E(NG)I-2018/TR/14 dated 10.06.2022)

7.4 The following instructions shall be applicable in all Zonal Railways and Units for considering the transfer cases of sportspersons, recruited against sports quota, from one Railway/Unit/Division to another Railway/Unit/Division:

(i) Eligibility conditions:-

- a) At least 05 years' service on the Railway, including probation period, training period wherever prescribed and
- b) Person should be a regular employee;

(ii) Exceptions to the conditions as mentioned in Para (i) above can be made in the following circumstances:-

- a) When the spouse of the sportsperson is an employee of Central Government/ State Government/ Public Sector, and the sportsperson requests for transfer to the place of the spouse;
- b) When a sportsperson has been afflicted with a serious physical and mental ailment rendering him/her unfit for competitive sports and he/she desires to be transferred to another place where better treatment facilities for the ailment, are available; and
- c) When sportspersons request for their transfers on mutual basis from one Railway/ Division/ Unit to another Railway/Division/Unit, provided both such employees are sportspersons.

(iii) Inter-Railway/Inter-Divisional/Unit transfers of sportspersons shall be within the competence of General Manager of that Railway and will be decided only after his/her personal approval.

(iv) Relaxation in five years service condition for Inter-Railway transfer to the sportspersons having medal winning performance in the recognized international championships after joining the Railways; on his/her request can be given by Railway Board.

(v) Relaxation for the cases of transfer from one Division/Unit to another Division/Unit within the same Railway may be decided by the General Manager concerned as is done in case of other non-gazetted Railway Servants.

(vi) The general conditions governing request transfers, like educational qualifications prescribed for recruitment to the category/post to which transfer has been sought for, assignment of bottom seniority etc., will apply in all cases of transfer of sportspersons on their own requests.

(vii) However, since recruitment of sportspersons is allowed in Technician Gr III with three years on the job training, they may also be allowed to seek Inter-Railway request transfer on bottom seniority once they have completed 03 years training.

(Ref:- Board's letter No. 2011/E(Sports)/4(3)/4(Transfer Policy) dated 17.02.2011, 25.05.2011 & 07.03.2012, No. 2011/E(Sports)/4(1)/1/Policy Clarifications dated 24.02.2011, No. E(NG)I-2017/TR/23 dated 18.08.2017 and No. 2017/E(Sports)/4(1)/6/Transfer Policy dated 18.09.2017).

7.5 In terms of Para 312 of IREM, Vol-I, One way request transfers are effected in "relevant grade". The expression "relevant grade" is the grade where there is an element of direct recruitment. GMs themselves may decide whether it is relevant grade for one way request transfer.

(Ref:- Board's letter No. E(NG)I-2015/TR/15 dated 02.03.2016).

7.6 It may not be desirable/feasible to assign seniority to transferred employee in the new unit from the date of approval of the transfer, when the employee is still actually working in the parent unit, Every effort should be made to relieve her/him at an early date. The case should be put up by Sr. DPO/WPO to DRM/CWM as the case may be giving specific reason for the delay.

(Ref:- Board's letter No. E(NG)I/2019/PM 2/18CC dated 26.11.2019).

7.7 It has been decided by the Board that NOC issued by the receiving Railway should be valid for a period of six months, and if transfer of the employees concerned are not effected within this period the NOC in such cases should be mandatorily revalidated. The employees should be relieved on transfer only after re-confirming the validity of the NOC.

(Ref: E(NG)I/2020/TR/16 dated 01.10.2020)

7.8 Railways may ensure that only such Inter-Railway transfers requests be forwarded where there is reasonable possibility of relief in case of acceptance by the Railway to which transfer is sought. While doing so, various factors like number of staff likely to be inducted in the cadre by way of departmental promotions/Inter-Divisional/Inter-Railway Transfer from other Railways/Divisions and through RRB indents should be kept in view so that once NOC is received, the concerned employee can be relieved early.

(Ref: E(NG)I-2019/TR/11 dated 20.09.2019)

8. Transfer on Mutual basis

8.1 Any Railway employee who is member of Railway services of a Railway/Division/Unit can seek Mutual transfer with the employee of another Railway/Unit/Division working in same grade or by reverting willingly and unconditionally (if working in higher/different grades) subject to provisions contained in Para 226 of IREC Vol. I.

8.2 DRMs for divisionally controlled post, CWMs for Workshop controlled posts and GMs or any lower authority to whom powers have been delegated for Head Quarter controlled posts is competent authority for effecting Mutual transfer.

8.3 Assignment of seniority on transfer on Mutual Exchange basis

(i) The senior of the two employees will be given the place of seniority vacated by the junior employee. The junior on joining the new unit will be allowed to retain his former seniority and shall be placed into the seniority below the persons having the same seniority

(Ref: Para 230 of Indian Railway Establishment Code, Vol. I, 1985 Edition).

(ii) Railway employees transferred on mutual exchange from one cadre of a Division, office or railway to the corresponding cadre in another Division, office or railway shall retain their seniority on the basis of the date of promotion to the grade or take the seniority of the railway employees with whom they have exchanged, whichever of the two may be lower.

Intra-divisional mutual transfer is not envisaged in the scope of instructions of mutual transfer. Transfer within the same seniority unit is in the competence of Divisional/Cadre controlling authorities and thus instructions on mutual transfer are not applicable

(Ref: Para 310 of Indian Railway Establishment Manual, Vol. I, 1985 Edition and E(NG)I-2020/TR/13 dated 05.08.2022).

(iii) The General Managers of the Zonal Railways themselves or the lower authority to whom powers have been delegated, may decide whether it is corresponding cadres of the two employees seeking mutual transfer.

{Ref: Board's letter No. E(NG)I-2015/TR/15 dated 02.03.2016 & para 7.3 (ii) above}.

(iv) Mutual transfer is ordered with the consent of both the parties, it should be made clear right at the time of forwarding applications for mutual transfer that no request for backtracking from Mutual exchange arrangement will be entertained under any circumstances.

(Ref: Board's letter No. E(NG)I-2006/TR/6 dated 21.04.2006 and E(NG)I-2018/TR/8 dated 11.01.2019).

8.4 Mutual Transfers may also be permitted between staff in two different grades but only in the recruitment grade of the cadre and not in intermediate grades. Both the employees seeking mutual exchange shall have to give a written undertaking accepting reversion unconditionally and willingly in their own interest to the recruitment grade and bottom seniority in their respective new Unit in order to avoid future litigation.

(Ref: Board's letter No. E(NG)I-2006/TR/6 dated 21.04.2006 and E(NG)I-2018/TR/8 dated 26.10.2018 & 11.01.2019).

8.5 Transfers on mutual exchange basis should be allowed between employees belonging to the same category (i.e. General with General, SC with SC and ST with ST). However, transfers on bottom seniority in recruitment grades need not be restricted with reference to points in the post based rosters. The procedure being followed generally in this regard to adjust shortfall/excess in future may continue. But such transfers should be allowed only repeat only against vacant direct recruitment quota posts and not

against promotion quota posts. The above instructions do not in any way alter the existing procedure as laid down by this Ministry regarding operation/maintenance of post-based rosters.

(Ref: Board's letter No. E(NG)I-2004/TR/16 dated 14.08.2007).

8.6 There being no reservation in posts filled by promotion for OBCs, the term "General" should include OBCs also. In other words, staff belonging to General/OBC categories may contract mutual transfers with staff belonging to General/OBC.

8.7 Mutual transfer in the recruitment grades will also be allowed without restriction provided:-

- (i) The posts in the grade are entirely filled by direct recruitment from open market;
- (ii) In case where posts in the grade are partly filled by promotion and partly by direct recruitment, both the employees seeking mutual transfer should have been recruited directly from the open market; the intention being that both of them should be borne in the post based rosters maintained for direct recruitment. In other words, if one or both the employees are borne in the post based rosters maintained for promotion, the restrictions on mutual transfer as per instructions dated 14.08.2007 will apply.

(Ref: Board's letter No. E(NG)I-2004/TR/16 dated 22.10.2007).

8.8 In all mutual transfer cases where NOC has been given by both the Railways/Units i.e. accepting and relieving, both the employees should be spared immediately, without waiting for the reliever. A photocopy of Service Record and un-vetted LPC should be given to the employee for submission at the new Division. Original Service Records/LPC should also be sent positively within 15 days.

(Ref: Board's letter No. E(NG)I-2017/TR/24 dated 09.05.2018).

8.9 An erstwhile Group "D" employee working in level-1 (GP Rs. 1800/-) belonging to any Department/Cadre of a Division/Office/Railway/P.U./Unit may be allowed to go on mutual exchange basis transfer with another employee working in level-I (GP Rs. 1800/-) and belonging to any Department/Cadre of another Division/Office/Railway/P.U./Unit without applicability of the term "Corresponding cadre". This dispensation is, however, subject to the fulfillment of the prescribed Medical Standard. The Staff so transferred should invariably be imparted requisite training in the new unit wherever considered essential before putting him/her on a working post. This training period should be counted as duty. These instructions are intended only for effecting transfer on mutual exchange basis in Level-1 posts and not for any other kind of transfer. Further, these provisions are not applicable to Non-Gazetted Railway employees working in Level-2 and above.

(Ref: Board's letter No. E(NG)I-2017/TR/19 dated 06.07.2018).

8.10 Model Timelines to deal with Mutual Transfer cases is as under:-

1. Forwarding of applications by Supervisors to the Personnel Department of the Division - 10 days
2. Forwarding by Divisional Personnel Department - 15 days
3. Forwarding by HQ Personnel Department (For HQ controlled posts) - 15 day
4. Conveying of acceptance - 10 days
5. Issue of Transfer Order - 10 days
6. Dispatch of LPC and Service Records - 15 days

(Ref: Board's letter No. E(NG)I-2017/TR/24 dated 22.09.2017).

9. Transfer on Spouse Ground

9.1 In view of enhancement of women's status in all walks of life and to lead a normal family life as also to ensure the education and welfare of the children, a concerted effort to increase representation of women in Central Government jobs has been made by posting both spouses mandatorily at the same station in following circumstances:-

(i) Where both the spouse are railway employees and belong to the same seniority units

The husband & wife, if working in the same Department and if the required level of post is available, should invariably be posted together in order to enable them to lead a normal family life and look after the welfare of their children especially till the children attain 18 years of age. This will not apply on appointment under the Central Staffing Scheme. Where only wife is a Government employee, the above concessions shall be applicable to the Govt. Employee. Hence, both the railway employees may be posted at the same station/place ensuring that one of them does not work as subordinate to the other.

(ii) Where both the spouses are railway employees but belong to different seniority units

Efforts may be made to post both the railway employees at the station where posts at appropriate level exist in the respective seniority units, failing which, requests for change of the category may be considered sympathetically keeping in view all other relevant rules in the matter.

(iii) Where one of the spouses is a railway employee and other belongs to All India Service or another Central Service

The Railway Employee should be posted at station/place in the Railway/Division/PU in whose territorial jurisdiction the place/state of posting of his/her spouse falls or as close to it as possible, if there is no Railway Organization/post at the place/state of posting of the spouse.

(iv) Where one of the spouses in a railway employee and the other belongs to a State service

The Railway Employee should be posted at the station/place in the Railway/Division/PU, in whose territorial jurisdiction, the place/state of posting of his/her spouse falls. If, it is not possible, if a request from the railway employee to Controlling Authority of the spouse for his/her posting at the place of posting of railway employee is received, the same may be forwarded to the concerned authority for sympathetic consideration.

(v) Where one of the spouses a railway employee and the other is working in a Central/State/ Public Sector Undertaking/ Autonomous Body/Private Sector.

The railway employee may apply to the Controlling Authority for a posting at the place of posting of his/her spouse, which may be considered favorably by the Competent Authority. If no post is available for posting of the railway employee at the place of posting of the spouse, he/she may be posted to a place closer to the place of posting of the spouse. If this also is not possible, application from the railway employee for posting of the spouse who is working in Central/State/public Sector Undertaking may be forwarded to the Controlling Authority of the spouse of his/her posting at or near the place of the railway employee.

9.2 The cadre controlling authority should strive to post the employee at the station of spouse and in case of inability to do so, specific reasons, therefore, may be communicated to the employee.

9.3 Safeguards to prevent non-compliance may be provided by ensuring that the complaints against non-adherence to the instructions are decided by authorities at least one level above the authorities which took the original decision when they are below the SAG level/ Head of PUs. All such representations should be considered and disposed off in a time bound manner. A separate register may be maintained at each Divisional and Zonal headquarters of the Railways for registering requests for transfers from railway employees for posting at the place of posting of their spouses, which may be reviewed from time to time, by competent authority.

(Ref: Railway Board's letter No. E(NG)II-77/TR/14 dated 1.1.71, E(NG)I-86/TR/14 dated 6.1.88, E(NG)I-97/TR/28 dated 5.11.97, E(NG)I-2009/TR/29 dated 02.02.2010, E(NG)I-2019/TR/6 dated 26.04.2019)

10. Transfer of Railway employees who are office bearers of recognized Trade Unions

10.1 Any proposal for transfer of an office bearer of a recognized Trade Union including the Branches thereof should be communicated by the Railway to the Union concerned and the Union is allowed to bring to the notice of the Divisional Officer and if necessary, later to the General Manager any objection that they may have against the proposed transfer. If there is no agreement at the lower levels, the decision of the General Manager would be final. Sufficient notice should be given to the Union of a proposed transfer so that the Union can make alternative arrangements for carrying on work or making a representation against the proposed transfer.

(Ref:- Board's letter No. E(L)60UT1-31 dated 19.2.60).

10.2 In the case of usual periodical transfer, where it is decided after consideration of the appeal by the General Manager not to cancel the transfer, the transfer may be allowed to pend till the next election of the Union office bearers, subject to a maximum period of one year. This will not apply to transfers on special considerations ordered in public interest.

(Ref:- Board's letter No. E(L)61/PE1/43 dated 31.07.61).

10.3 In the case of an employee, who is transferred at his own request, there is no need to follow the usual procedure. It is for the employee himself to satisfy the Union to which he belongs.

(Ref:- Board's letter No. E(L) 64UT1-113 dated 06.10.64)

10.4 In regard to transfer of an employee to comply with statutory obligations under the Hours of Employment Regulations (HOER), the Railway Administration should comply with the procedure by conveniently planning the transfers.

(Ref:- Board's letter No. E(L) 64UT1-113 dated 06.10.64)

10.5 In case of an employee being transferred on promotion, the Union need only be informed about the proposed transfer and it is not necessary to pend the same unless the railway employee wishes to refuse promotion. A senior employee need not be transferred in preference to the one promoted in order to accommodate a Trade Union Office bearer on promotion at that same station itself unless this course of action is otherwise feasible.

(Ref:- Board's letter No. E(L) 64UT1-113 dated 06.10.64)

10.6 Transfer of an employee having been rendered surplus at a particular station should be treated in the same way as in para 9.5 above.

(Ref:- Board's letter No. E(L) 64UT1-113 dated 06.10.64)

10.7.1 If a Trade Union Office bearer has to be transferred because of involvement in a Special Police Establishment case, the Union concerned may only be advised of the transfer. Any representation the Union makes may be considered, but it is not necessary to keep the transfer in abeyance for this purpose.

(Ref:- Board's letter No. E(L) 64UT1-113 dated 21.11.64)

10.7.2 The procedure need not be followed in case where the transfer of a Railway Employee is considered necessary by the SPE/Vig. Organizations of the Railway. In such a case, papers should be seen by the General Manager personally before the transfer is decided. The trade Union is also advised of the transfer but it is not necessary to give any notice for this purpose. Similarly, in a case where the civil and police authorities have recommended immediate transfer of a railway employee who is an office bearer of a recognized Union on the ground that he was indulging in undesirable activities and thereby affecting efficient functioning of the Railway, there is no objection to deviation from the normal procedure.

(Ref:- Board's letter No. E(L) 75/UT1-176 dated 08.08.75)

10.8 In case of transfers from one section/department to another in the same office, there is no need to give notice to the Union beforehand. However, the Union may be informed about the transfer at the time of effecting such transfers. In the case of transfers to another office located at a distance but within the same area at the same station, usual procedure may be followed.

(Ref :- Board's letter No. E(L) 64UT1-113 dated 21.11.64)

10.9 In case of a Union office bearer involved in sexual harassment of women, Railway Administration concerned may take action to transfer out such persons without the consent of the General Secretary of the concerned Union. In cases where the committee inquiring into such cases have come to the conclusion that such harassment had taken place and in such cases provisions as for transfer recommended by vigilance may be followed. However, in such cases General Secretary of such unions maybe kept informed in writing about the details for effecting transfer.

(Ref :- Board's letter No. E(LR)III/2004/UTF-2 dated 11.01.2005)

10.10 The usual procedure is to be followed for transfers from one Administrative jurisdiction to another (for example, Workshop establishment to a Loco Shed) at the same station.

10.11 SCs/STs should as far as practicable, be confined to their native districts. Further advised that transfer of elected office bearers of SC/ST and OBC Railway Employees Association in the same grade may not generally be resorted to in ordinary situations.

(Ref:- 97-E(SCT)I/22/12 dated 05.03.1999)

11. Transfer from other categories:

Railway employee employed in one department shall not be eligible for employment in another except with the previous consent of the Head of the Department in which they are employed. Without such prior consent, the Head of an Office or Department shall not employ anyone, either temporarily or

permanently, if he knows or has reasons to believe that the person belongs to another establishment under the Government. A Railway employee, who takes up an employment without the consent of the Head of the Department, commits a breach of discipline and is liable to be punished. DRMs concerned may, however, transfer Gr. 'D' Railway employees (Peons, Gangman, Khalais, Unskilled and Semi-skilled etc.) from one Department to another or from one Division to another without consulting the Head of the Department. The same power has been conferred upon to Chief Workshop Managers (CWM) in respect of staff working under their control.

(Ref: Board's letter No. E(NG) 66/TR2/4 dated 18.7.66 and Para 231, Indian Railway Establishment Code, Vol. I, 1985 Edition, E(NG)I-2018/TR/12 dated 27.12.2018)

11.1 Requests should not be entertained for change of category to Commercial and other non-technical popular categories like Clerk, Accounts Clerk, Ticket Collector, Commercial Clerk, Sr. Clerk, Jr. Accounts Assistant, Commercial Apprentice, Traffic Apprentice, ECRC etc. However, the Administration's powers to absorb surplus staff and medically de-categorised staff in any category as per procedure in force remain unaffected.

DRM may also transfer Non-Gazetted Railway employees working in Level-2 and above from one department to another for divisional controlled posts subject to the condition that request should not be entertained for change of category to Commercial and other non-technical popular categories like Clerk, Accounts Clerk, Ticket Collector, Commercial Clerk, Senior Clerk, Junior Accounts Assistant, Commercial Apprentice, Traffic Apprentice, ECRC etc.

(Ref: Board's letter No. E(NG)I-2018/TR/12 dated 24.08.2018 and No. E(NG)I-2006/TR/18 dated 25.09.2007)

11.2 For Inter Railway/Inter Division transfer of employees on own request basis and mutual transfer of employee for division controlled posts – DRM – Full powers for division controlled posts, CWM- Full powers for workshop cadre.

(Authority: Item 10(D) of MSOP, 2018)

12. Transfer of Personal Records of Railway employees transferred from one unit to another

Where a Railway employee has been transferred from one Railway unit to another, the transfer documents of the Railway employee concerned, complete in all respects, should be forward expeditiously, to the office to which he has been transferred so as to ensure that no hardship/difficultly is experienced by him due to non-availability of the documents.

(Ref: Board's letter No. 84/ACII/21/2 dated 25.8.84 and E(NG)I-2001/TR/16 dated 21.11.2001)

13. General:

Ordinarily a Railway employee shall be employed throughout his service on the Railway or the Railway establishment to which he is posted on first appointment and he shall have no claim, as of right, for transfer to another Railway or Establishment. In the exigencies of service, it shall be open to the President to transfer a Railway employee to any other department or Railway or Railway establishment including a project in or out of India. In regard to Non-Gazetted Railway employee, power to transfer them within India may be exercised by the General Manager or by a lower authority to whom the power have been re-delegated.

(Ref: Para 226, Indian Railway Establishment Code, Vol. I, 1985 Edition)

13.1 A competent authority may transfer a Railway employee from one post to another, provided that the Railway employee shall not be transferred substantively to or, except in a case of dual charge, appointed to officiate in a post carrying pay less than the pay of the permanent post on which he holds a lien or would hold a lien had it not been suspended. This provision will not, however, apply, where Railway an employee has to be transferred

- (i) On account of inefficiency or misbehavior or
- (ii) On his written request.

(Ref: Para 227, Indian Railway Establishment Code, Vol. I, 1985 Edition)

13.2 No Inter Railway/Inter Division transfer requests will be considered till completion of Five (05) years of joining railway. However, in case of transfer on Mutual exchange basis, transfer on spouse ground, transfer on ground of care-givers to a disabled child, transfer of physically handicapped railway employee and widows appointed on compassionate ground, there is exemption from the condition of minimum of five (05) years.

For TADK's transfer to another place, along with appointing officer, the minimum time limit of 5 years is not applicable and as per circumstances of the case, such TADK can be transferred even before 5 years.

(Ref: Board's letters No. E(O)III-2014/PL/05 dated 31.08.2015, No. E(O)III/2014/PL/05 dated 04.01.2016, E(NG)I-2015/TR/20 dated 10.2.2017 and dated 07.06.2019)

13.3 While placing indent with the Railway Recruitment Boards, the extent of additional candidates required on the basis of the number of Railway employees in various categories who have applied for transfer to the other Divisions/ Railways should be taken into account and recruited so that transfer may take place without hitch on the availability of replacements.

(Ref:- Board's letter No. E(NG)II/70/RR/31 dated 11.1.71 and E(NG)I-83/TR/26 dated 6.6.83).

13.4 The academic session of the children of the employees being transferred may also be kept in view within the fundamental objectives of the scheme of periodical transfer.

(Ref:- Board's letter No. E(NG)I-2009/TR/7 dated 04.03.2010).

13.5 The employees belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes should not be transferred from one place to other quite frequently. Posting of employees belonging o these communities on their initial appointment/promotions/transfers should as far as practicable be confined to their native district or adjoining districts or places where the Railway Administration can provide the quarters subject to their eligibility.

(Ref:- Board's letter No. E(SCT)70CM15/15/3 dated 19.11.70, E(SCT)74CM15/58 dated 14.1.75, 78-E(SCT) 15/25 dated 6.7.78, 85-E(SCT)I-43/1 dated 24.12.85 and 2018-E(SCT)I/25/10 dated 19.6.2018).

14. Transfer of Railway employees, who are members of the Railway Protection Force and Railway Protection Special Force is governed by the provision of the R.P.F. Rules, 1987.

15. With the introduction of Transfer Module of HRMS on 15th August, 2022, all the new as well as existing transfer requests (Inter Railway & Inter Division) shall henceforth be received and processed only through HRMS.

(Ref:- Board's letter No. PC-VII/2022/HRMS/15 dated 11.08.2022)


16. (i) While referring to this Master Circular, the original letters mentioned herein should be read for a proper appreciation. The Master Circular is only a consolidation of the existing instructions and should not be treated as a substitution to the original circulars. In case of doubt, the original circulars should be relied upon as authority;

(ii) The instructions contained in the original circulars referred to, have only prospective effect from the date of their issue, unless indicated otherwise;

(iii) If any circular on the subject, which has not been superseded, has been lost sight of in the preparation of the Master Circular, the said circular which has been missed through oversight, should not be ignored, but should be treated as valid and operative.

17. The letters and other references on the basis of which, the Master Circular has been prepared are indicated in the enclosure.

Please acknowledge receipt.


(Sanjay Kumar)
Deputy Director Estt. (N)
Railway Board

The consolidation has been made from the following circulars/letters:

S.No.	LETTER/CIRCULAR
1	E(L)60UT1-31 dated 19.2.60
2	E(L)61/PE1/43 dated 31.07.61
3	E(L) 64UT1-113 dated 06.10.64
4	E(L) 64UT1-113 dated 21.11.64
5	E(SCT)70CM15/15/3 dated 19.11.70
6	E(NG)II/77/TR/14 dated 10.1.71
7	E(NG)II/70/RR/31 dated 11.1.71
8	E(NG)II-77/TR/14 dated 1.1.71
9	E(NG)II/71/TR/1 dated 31.3.71
10	E(SCT)74CM15/58 dated 14.1.75
11	E(L) 75/UT1-176 dated 08.08.75
12	E(NG)II/77/TR/21 dated 10.06.77
13	E(NG)II/77/TR/112 dated 6.2.78 and 27.5.78

- 14 78-E(SCT) 15/25 dated 6.7.78
- 15 E(NG)II/78/TR/85 dated 27.4.79
- 16 E(NG)II/78/TR/82 dated 7.2.80
- 17 E(NG)II/80/TR/28 dated 22.8.80, 31.12.81, 19.2.86, 16.10.87
- 18 E(NG)I-81/TR/19 dated 23.5.81
- 19 E(Rep)I-83AD1/Misc/Staff Griv. Dated 25.5.83
- 20 E(NG)I-83/TR/26 dated 6.6.83
- 21 84/ACII/21/2 dated 25.8.84
- 22 85-E(SCT)I-43/1 dated 24.12.85
- 23 E(NG)I-86/TR/14 dated 6.1.88
- 24 E(Rep.)I/88AE/12/6/115 dated 7.6.88
- 25 E(NG)I/80/TR/28 dated 21.7.88
- 26 E(NG)II/87/TR/34/NFIR/JCM/DC dated 27.9.89
- 27 E(NG)I-94/TR/29 dated 2.5.95
- 28 E(NG)I-97/TR/28 dated 5.11.97
- 29 97-E(SCT)I/22/12 dated 05.03.1999
- 30 E(NG)I-99/TR/15 dated 8.2.2000,
- 31 E(NG)I-2001/TR/16 dated 21.11.2001
- 32 E(NG)I-2001/TR/22 dated 21.5.2002
- 33 E(NG)I-2002/TR/19 dated 13.9.2002 & 23.2.2006
- 34 E(NG)I-2004/TR/22 dated 23.10.2006 and 25.09.2016
- 35 E(NG)I-2004/TR/16 dated 14.08.2007 and 22.10.2007
- 36 E(LR)III/2004/UTF-2 dated 11.01.2005
- 37 E(NG)I-94/TR/29 dated 28.3.2005
- 38 E(NG)I-2006/TR/6 dated 21.04.2006
- 39 E(NG)I-2006/TR/6 dated 21.04.2006
- 40 E(NG)I-2006/TR/18 dated 25.09.2007
- 41 E(NG)I-2007/TR/27 dated 1.4.2009
- 42 E(NG)I-2009/TR/29 dated 02.02.2010
- 43 E(NG)I-2009/TR/7 dated 04.03.2010
- 44 2011/E(Sports)/4(3)/4(Transfer Policy) dated 17.02.2011, 25.05.2011 & 07.03.2012
- 45 No. 2011/E(Sports)/4(1)/1/Policy Clarifications dated 24.02.2011
- 46 No. E(O)III/2014/PL/05 dated 04.01.2016
- 47 E(O)III-2014/PL/05 dated 31.08.2015,
- 48 E(NG)I-2014/TR/14 dated 07.04.2015
- 49 E(NG)I-2015/TR/15 dated 02.03.2016
- 50 E(NG)I-2015/TR/20 dated 10.2.2017 and 07.06.2019
- 51 E(NG)I-2017/TR/24 dated 10.03.2022 and 23.03.2022
- 52 E(NG)I-2017/TR/23 dated 18.08.2017
- 53 E(NG)I-2017/TR/24 dated 22.09.2017
- 54 No. 2017/E(Sports)/4(1)/6/Transfer Policy dated 18.09.2017
- 55 E(NG)I-2017/TR/24 dated 09.05.2018
- 56 E(NG)I-2017/TR/19 dated 06.07.2018

- 57 E(NG)I-2018/TR/12 dated 27.12.2018 and 24.08.2018
- 58 2018-E(SCT)I/25/10 dated 19.6.2018
- 59 E(NG)I-2018/TR/14 dated 17.9.2018
- 60 E(NG)I-2018/TR/8 dated 26.10.2018
- 61 E(NG)I-2018/TR/8 dated 11.01.2019
- 62 E(NG)I-2019/TR/11 dated 20.09.2019
- 63 E(NG)I-2015/TR/20 dated 23.04.2019
- 64 E(NG)I-2019/TR/6 dated 26.04.2019
- 65 E(NG)I/2019/PM 2/18CC dated 26.11.2019
- 66 E(NG)I-2020/TR/8 dated 18.08.2020
- 67 E(NG)I/2020/TR/16 dated 01.10.2020
- 68 E(NG)I-2018/TR/14 dated 10.06.2022
- 69 PC-VII/2022/HRMS/15 dated 11.08.2022



सत्यमेव जयते

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड/RAILWAY BOARD)

अराजपत्रित रेल कर्मचारियों का स्थानान्तरण - मास्टर परिपत्र (24)

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड/RAILWAY BOARD)

सं. ई(एनजी)।/2019/टीआर/10

नई दिल्ली, दिनांक 17.08.2023

महाप्रबंधक (पी)

सभी भारतीय रेलें,

उत्पादन इकाइयां एवं अन्य।

विषय:- अराजपत्रित रेल कर्मचारियों के स्थानांतरण से संबंधित मास्टर परिपत्र।

रेलवे बोर्ड द्वारा क्षेत्रीय रेलों के अधीन कार्यरत अराजपत्रित रेल कर्मचारियों के स्थानांतरण से संबंधित विषय पर विभिन्न पत्रों/अनुदेशों के माध्यम से समय-समय पर अनुदेश जारी किए गए हैं। वर्ष 1991 तक इस विषय पर जारी किए गए अनुदेशों के आधार पर, स्थानांतरण पर मास्टर परिपत्र सं. 24 दिनांक 08.04.1991 को जारी किया गया था। सभी संबंधितों की सूचना और मार्गदर्शन के लिए इस विषय पर तब से अब तक जारी सभी अनुदेशों को विधिवत रूप से शामिल करते हुए अद्यतन किया गया है।

2. स्थानांतरण का अर्थ किसी रेल कर्मचारी का एक मुख्यालय स्टेशन से जहां वह नियुक्त है दूसरे ऐसे स्टेशन पर संचलन से है, या तो;

- (i) किसी नए पद पर कार्यभार ग्रहण करना हो; या
- (ii) उसके मुख्यालय तथा वरिष्ठता इकाइयों के परिवर्तन के परिणामस्वरूप।

(संदर्भ: नियम 226 से 231) - भारतीय रेल स्थापना संहिता, जिल्द I, 1985 संस्करण)

3. स्थानांतरण का आदेश या तो अस्थायी आधार पर या अस्थायी से इतर किसी अन्य आधार पर किया जा सकता है। स्थानांतरण किसी प्रकार का कोई टंड नहीं है।

3.1 रेल कर्मचारियों के बार-बार स्थानांतरण का सहारा नहीं लिया जाना चाहिए। जहां कहीं रेल कर्मचारी का स्थानांतरण अस्थायी है, वहां इसका उल्लेख स्थानांतरण आदेश में किया जाना चाहिए।

(संदर्भ: बोर्ड का दिनांक 23.05.81 का पत्र सं. ई(एनजी)।-81/टीआर/19)

4. अस्थायी आधार से इतर स्थानांतरण, प्रशासनिक आवश्यकताओं या रेल कर्मचारियों से प्राप्त अनुरोधों पर विचार करने के बाद किए जाते हैं।

4.1 किसी रेल कर्मचारी की पदोन्नति के परिणामस्वरूप किया गया स्थानांतरण कर्मचारी द्वारा उसके स्वयं के हित में यथासंभव शीघ्र स्वीकार कर लिया जाना चाहिए।

4.2 (i) जब कभी किसी संवर्ग में कोई विरतीकरण (Curtailment) होता है और रेल कर्मचारियों को स्थानांतरित किया जाना होता है, तब सामान्य नियम के तौर पर, कनिष्ठतम कर्मचारियों को पहले स्थानांतरित किया जाना चाहिए।

(संदर्भ: बोर्ड का दिनांक 27.07.66 का पत्र सं. ई(एनजी)66/टीआर2/20)

(ii) यदि किसी रेलवे के किसी विशेष स्टेशन पर गतिविधि को बंद किया जाता है जैसे किसी शेड या विशेष संस्थापन को बंद करना, जिसके कारण काफी संख्या में रेल कर्मचारियों का स्थानांतरण करना आवश्यक हो जाता है तो ऐसे मामलों से उत्पन्न मानवीय समस्याओं से निपटने के लिए उचित व्यवस्था करने में सहायता हेतु इस मामले पर मजदूरों के साथ विचार-विमर्श किया जाना चाहिए।

(संदर्भ: बोर्ड का दिनांक 10.06.77 का पत्र सं. ई(एनजी)11/77/टीआर/21)

5. स्थानांतरण आवेदनों पर कार्यवाही करने की प्रक्रिया:

रेलों द्वारा एक इकाई/मंडल/रेलवे से अन्य इकाई/मंडल/रेलवे में रेल कर्मचारियों के स्थानांतरण पर कार्यवाही करते समय निम्नलिखित दिशा-निर्देशों का पालन किया जाना चाहिए:

- (i) सभी आवश्यक विवरणों वाले आवेदन की इतनी प्रतियां तैयार की जानी चाहिए, जितने इकाई/मंडल/रेलवे सहित स्तरों/अधिकारियों तक आवेदन जाना हो, जहां के लिए स्थानांतरण मांगा गया है।
- (ii) सभी प्रतियों पर कर्मचारी का पासपोर्ट आकार का फोटो आवेदन के ठीक दाहिने कोने में सबसे ऊपर लगाया/चिपकाया जाना चाहिए।
- (iii) इस आवेदन के साथ एक अतिरिक्त वैसा ही पासपोर्ट आकार का फोटो होना चाहिए, जो स्थानांतरण के लिए कर्मचारी को भारमुक्त करने के ज्ञापन/आदेश पर, जब कभी वह जारी हो, इसी प्रकार से लगाया/चिपकाया जाए।
- (iv) संबंधित अधिकारी का तत्काल पर्यवेक्षक/अधिकारी आगे की कार्रवाई के लिए आवेदन को अग्रेषित करने से पूर्व आवेदन की प्रत्येक प्रति पर लगी फोटो को इस प्रकार से सत्यापित करेगा कि हस्ताक्षर और रबर की मोहर आंशिक रूप से फोटोग्राफ के ऊपर और आंशिक रूप से फोटोग्राफ के बाहर कागज़ पर दिखाई दें।

- (v) रबर की मोहर में आवेदन को सत्यापित और अग्रेषित करने वाले पर्यवेक्षक/अधिकारी का नाम और पदनाम स्पष्ट रूप से दर्शाया जाना चाहिए।
- (vi) प्रत्येक स्तर/कार्यालय ऊपर उल्लिखित विवरणों के अनुसार सभी प्रकार से पूर्ण आवेदन की प्रति, उच्च प्राधिकारी या इकाई जहां के लिए स्थानान्तरण मांगा गया हो, को अग्रेषित करने से पूर्व अपने पास रखेंगे, जैसा भी मामला हो।
- (vii) आवेदन का पंजीकरण किया जाना चाहिए और प्रचलित प्रक्रिया के अनुसार उपयुक्त प्राथमिकता संख्या दी जानी चाहिए तथा कर्मचारी को इसके बारे में सूचित किया जाना चाहिए।
- (viii) स्थानान्तरण का अनुरोध स्वीकार किए जाने और सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवश्यक आदेशों के जारी किए जाने के पश्चात्, कर्मचारी को कार्यभार मुक्त करने वाले ज्ञापन/आदेश पर कर्मचारी का फोटोग्राफ (जो आरंभ में अनुरोध प्रस्तुत करते समय उससे प्राप्त किया गया था) चिपका हुआ होना चाहिए, जो उपर्युक्त (iv) में दर्शाए गए अनुसार सत्यापित किया गया हो। ज्ञापन/आदेश में स्थानान्तरित किए गए कर्मचारी के हस्ताक्षर और बाएं हाथ के अंगूठे का निशान दोनों होने चाहिए, जो ज्ञापन/आदेश पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी द्वारा विधिवत रूप से सत्यापित होना चाहिए, जिसमें उसका नाम और पदनाम हस्ताक्षर के नीचे दिखाई दे रहा हो।
- (ix) जब स्थानान्तरित कर्मचारी उसे स्थानान्तरण के लिए कार्यभारमुक्त किए जाने वाले वास्तविक ज्ञापन के साथ नई इकाई में पहुंचता है, तो उसे कार्यभार ग्रहण करने के लिए अनुमति दिए जाने से पूर्व, आवश्यक विवरणों जैसे फोटोग्राफ, हस्ताक्षर आदि का सावधानीपूर्वक मिलान किया जाना चाहिए। यदि किसी मामले में, विवरण प्रथमदृष्टया मेल खाता है परंतु, तर्कसंगत शंका बनी रहती है और यथार्थता के लिए रेलवे/मंडल/इकाई, जहां से कर्मचारी को स्थानान्तरित किया गया है, के साथ परामर्श/जांच/सत्यापन अपेक्षित हो, तो इसे यथा संभव शीघ्रता से किया जा सकता है परंतु कर्मचारी के कार्यभार ग्रहण करने के एक माह के भीतर।
- (x) स्थानान्तरण से संबंधित पत्र-व्यवहार पर राजपत्रित कार्मिक अधिकारी द्वारा अपने नाम और पदनाम के साथ हस्ताक्षर किए जाने चाहिए, जो हस्ताक्षर के नीचे दिखाई दें।
- (xi) अंतिम वेतन प्रमाणपत्र तत्काल जारी किया जाना चाहिए और राजपत्रित लेखा अधिकारी द्वारा अपने नाम और पदनाम के साथ हस्ताक्षर किए जाने चाहिए, जो हस्ताक्षर के नीचे दिखाई दें।
- (xii) अंतिम वेतन प्रमाणपत्र को नई इकाई, जिसमें कर्मचारी को स्थानान्तरित किया गया है, जहां तक संभव हो, कवरिंग लैटर के साथ विशेष संदेशवाहक के माध्यम से भेजा जाना चाहिए, जिसकी पहचान दस्तावेजों को स्वीकार करते समय प्रमाणित और नोट की जानी चाहिए।
- (xiii) संबंधित कर्मचारी की सेवा पंजिका भी नई इकाई को उसी रीति से भेजी जानी चाहिए जैसा ऊपर (xii) में उल्लेख किया गया है।

5.2 उपर्युक्त प्रक्रिया यथोचित परिवर्तनों सहित सभी स्थानांतरणों पर लागू होगी, जिसमें प्रशासनिक आधार पर किए गए स्थानांतरण और पारस्परिक अदला-बदली आधार पर किए गए स्थानांतरण शामिल हैं।

(संदर्भ:- बोर्ड का दिनांक 21.11.2001 का पत्र सं. ई(एनजी)I-2001/टीआर/16 और दिनांक 07.04.2015 का पत्र सं. ई(एनजी)I-2014/टीआर/14)

6. आवधिक स्थानांतरण

6.1 (i) ऐसे संवेदनशील पदधारक रेल कर्मचारी, जिनमें जनता या/और ठेकेदारों/आपूर्तिकर्ताओं के साथ संपर्क में आने वाले कर्मचारी भी शामिल हैं, को प्रत्येक चार वर्ष के पश्चात् उनके मौजूदा पद/सीट या स्टेशन से बाहर स्थानांतरित किया जाएगा, जैसा भी मामला हो।

(ii) रेल कर्मचारियों के आवधिक स्थानांतरण के लिए अनुदेशों में कर्मचारियों की दो व्यापक कोटियां शामिल हैं:-

(क) पहली कोटि में वाणिज्य विभाग के कर्मचारी (जैसे वाणिज्यिक पर्यवेक्षक, आरक्षण लिपिक/बुकिंग लिपिक, सभी प्रकार की वाणिज्यिक संविदाओं/लाइसेंसों से संबंधित कर्मचारी, टिकट चैकिंग कर्मचारी आदि) और परिचालन विभाग (स्टेशन पर्यवेक्षक/स्टेशन मास्टर/सहायक स्टेशन मास्टर आदि) के कर्मचारी शामिल हैं।

(ख) कर्मचारियों की इस कोटि के मामले में बड़े पैमाने पर विस्थापन से बचने के उद्देश्य से जहां तक संभव हो आवधिक स्थानांतरण संबंधित कर्मचारी के आवास का परिवर्तन किए बिना किए जाने चाहिए क्योंकि ऐसे स्थानांतरणों के मौलिक उद्देश्यों को ऐसे कर्मचारियों को एक ही स्टेशन में एक भिन्न स्थान पर या एक ही शहरी समूह में एक अलग स्टेशन पर स्थानांतरित करके प्राप्त किया जा सकता है।

(ग) दूसरी कोटि में, जिसमें ऐसे कार्यालयों जैसे वेतन बिल अनुभाग, भंडार कार्यालय, लेखा कार्यालय, ईंधन अनुभाग, चिकित्सा विभाग आदि में मुख्य रूप से कार्यरत कर्मचारी होते हैं, जिन्हें वरिष्ठता इकाई के भिन्न/अधिक छोटा होने, स्थानीयकृत कार्यालय आदि के होने के कारण सामान्यतः स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है, उन्हें आवधिक स्थानांतरण की आवश्यकता को पूरा करने के लिए उसी स्थान पर भिन्न गैर-संवेदनशील सीट पर स्थानांतरित किया जाएगा।

(घ) विभिन्न विभागों में पदों, जिन्हें आवधिक स्थानांतरणों के प्रयोजन के लिए संवेदनशील पद के रूप में चिह्नित किया गया है, निम्नानुसार हैं:-

क. लेखा विभाग:

1. ठेकेदारों/फर्मों के बिल पास करने वाले कर्मचारी;

2. आम जनता के लिए दावों/रिफंड और घाटभाड़ा/विलंब शुल्क जैसे विषयों पर कार्रवाई करने वाले कर्मचारी;
3. चेक लेखक;
4. रोकड़िया;
5. पेंशन/भविष्य निधि दावों पर कार्रवाई करने वाले कर्मचारी;
6. अप्रदत्त मजदूरी को पास/रिलीज करने वाले कर्मचारी; और
7. भुगतान किए गए वाउचरों की पश्च लेखापरीक्षा (Post Audit) और जान-पहचान के मामलों पर कार्रवाई करने वाले कर्मचारी;
8. टीआईए/आईएसए/एसवी

ख. सिविल इंजीनियरी विभाग:

1. भंडार के प्रभारी/ठेकेदारों के साथ संपर्क करने वाले/भंडारों की आपूर्ति स्वीकार करने वाले जूनियर इंजीनियर/सीनियर इंजीनियर/सीनियर सेक्शन इंजीनियर (निर्माण एवं रेलपथ)
2. भंडारों के प्रभारी निर्माण निरीक्षक/ रेलपथ निरीक्षक;
3. बिल लिपिक;
4. सामग्री जांच लिपिक/भंडार लिपिक;
5. समयपालक;
6. निर्माण लेखाकार;
7. भंडार लेखा के प्रभारी सहायक अधीक्षक/अधीक्षक;
8. स्थानांतरण/पदोन्नति/ऋण एवं अग्रिम स्वीकृति तथा पास/पीटीओ/छुट्टी लेखे/स्थानीय खरीद जैसे विषयों पर कार्रवाई करने वाले कर्मचारी; और
9. मंडलीय ड्राइंग कार्यालय में ठेकेदारों के बिलों की जांच करने वाले ड्राफ्ट्समैन/प्राक्कलक।

ग. वाणिज्य विभाग:

1. माल/पार्सल/सामान लिपिक;
2. आरक्षण/बुकिंग लिपिक;
3. टिकट कलेक्टर/टीटीई/कंडक्टर;
4. आरक्षण/माल पर्यवेक्षक ;
5. घाटभाड़ा/विलंब शुल्क मामलों पर कार्रवाई करने वाले कर्मचारी;
6. सभी प्रकार की वाणिज्यिक संविदाओं/लाइसेंसों जैसे विषयों पर कार्रवाई करने वाले कर्मचारी;
7. सिटी बुकिंग/कटौती/आरटीएसए (रेल टिकट सेवा एजेंट) पर कार्रवाई करने वाले कर्मचारी;
8. दावों पर कार्रवाई करने वाले कर्मचारी;
9. सेक्शनल सीएमआई एवं सेक्शनल दावा निरीक्षक;
10. राजस्व अर्जन और वाणिज्यिक प्रचार से संबंधित कर्मचारी।

घ. बिजली विभाग:

1. भंडार लिपिक;
2. स्थापना लिपिक/समयपालक;
3. मंडलीय कार्यालय में भंडार सहायक अधीक्षक/ भंडार अधीक्षक;
4. मंडलीय कार्यालय में निर्माण सहायक अधीक्षक/ निर्माण अधीक्षक;
5. वातानुकूलित सवारी डिब्बा प्रभारी/सवारी डिब्बा अटेंडेंट;
6. शाला का फॉरमैन प्रभारी;
7. माइलेज लिपिक/शेड नोटिस लिपिक;
8. निविदा/संविदा और भंडारों की खरीद पर कार्रवाई करने वाले कर्मचारी।

ङ. यांत्रिक विभाग:

1. भंडार लिपिक;
2. बिल लिपिक/स्थापना लिपिक;
3. समयपालक;
4. शेडों में ईंधन निरीक्षक/ईंधन जारीकर्ता/ईंधन लिपिक;
5. शेडों में माइलेज लिपिक/शेड लिपिक;
6. निविदा/संविदा और भंडारों की खरीद पर कार्रवाई करने वाले कर्मचारी।
7. स्क्रैप के निपटान से संबंधित सेक्शन इंजीनियर/सीनियर सेक्शन इंजीनियर।

च. चिकित्सा विभाग:

1. औषधि भंडारों की देखभाल करने वाला फार्मासिस्ट;
2. रसोई भंडारों के प्रभारी कर्मचारी;
3. बीमारी/योग्यता प्रमाणपत्र लिखने वाले कर्मचारी।
4. आवधिक चिकित्सा जांचों से संबंधित लिपिक/फार्मासिस्ट।
5. रेलों को सामग्री की आपूर्ति करने वाली फर्मों के बिलों को पास करने वाले कर्मचारी।
6. गैर-रेलवे अस्पतालों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिलों को पास करने वाले कर्मचारी।
7. खाद्य संरक्षा अधिकारी के रूप में पदनामित स्वास्थ्य और मलेरिया निरीक्षक।

छ. कार्मिक विभाग:

1. बिल लिपिक;
2. निपटान मामलों/अग्रिम से संबंधित कर्मचारी; और
3. संवर्ग अनुभाग कर्मचारी या भर्ती/पदोन्नति/स्थानांतरण जैसे विषयों पर कार्रवाई करने वाले कर्मचारी।

ज. भंडार विभाग:

1. निविदा लिपिक/निपटान लिपिक/खरीद अनुभाग प्रभारी (प्रधान लिपिक/सहायक अधीक्षक/मांग लिपिक (दर संविदा पर कार्रवाई से संबंधित)
2. सहायक गोपनीय निविदा लिपिक/निविदा खोलने वाला लिपिक/नमूना लिपिक/अधीक्षक/सीटीसी;
3. अनुभाग प्रभारी (प्रधान लिपिक/सहायक अधीक्षक)/खरीद सामान्य पंजीकरण में पंजीकरण लिपिक;
4. प्राप्ति/निरीक्षण प्रभारी पर्यवेक्षक (वार्ड कीपर, एएसकेपी/डीएसकेपी) और उनके अधीन कार्यरत समूह 'ग' कर्मचारी, स्थानीय खरीद कर्मचारी।
5. बिक्री अनुभाग प्रभारी (एएसकेपी/डीएसकेपी) और उनके अधीन कार्यरत कर्मचारी;
6. स्क्रेप यार्ड/रिटर्न भंडार अनुभाग प्रभारी (एएसकेपी/डीएसकेपी) वार्ड कीपर और उनके अधीन कार्यरत समूह 'ग' कर्मचारी; और
7. मंडल के मंडल भंडार नियंत्रक (डीसीओएस) के ईए/मंडल रेल प्रबंधक के खरीद अनुभाग से संबंधित कर्मचारी।

झ. परिचालन विभाग:

1. स्टेशन अधीक्षक;
2. केबिन स्टेशन मास्टर के रूप में और वे साइड स्टेशनों/क्रॉसिंग स्टेशनों पर कार्यरत/तैनात स्टेशन मास्टर्स/सहायक स्टेशन मास्टर्स को छोड़कर वे स्टेशन मास्टर/सहायक स्टेशन मास्टर, जो केवल गाड़ी को पास करने की ड्यूटी में शामिल हैं और कोई भी वाणिज्यिक ड्यूटी नहीं कर रहे हैं।
3. स्टेशन लिपिक;
4. पैकेज कार्य करने वाले गाड़ी लिपिक;
5. नियंत्रण कक्षों में स्टॉक नियंत्रक/कोचिंग नियंत्रक;
6. माइलेज बिलों/परिचालन प्रतिबंधों, वर्दियों के वितरण, यातायात भंडारों से संबंधित डेस्क और डीओएस/डीसीएस कार्यालय में चार्ज शीटों/वैगन आबंटन अनुभाग में कार्य करने वाले सहायक; और
7. सीओपी के कार्यालय में पण्य अनुभाग और भंडार अनुभाग से संबंधित डेस्क।

ञ. सिगनल एवं दूरसंचार विभाग

1. जूनियर इंजीनियर/सीनियर इंजीनियर (सिगनल) और जूनियर इंजीनियर/सीनियर इंजीनियर (दूरसंचार) भंडार डिपो के स्वतंत्र प्रभारी जो निविदा और संविदा तथा बिलों को तैयार करते हैं।
2. बिल लिपिक/समयपालक/स्थापना लिपिक;
3. भंडार लिपिक/भंडार जारीकर्ता।

4. कार्यालय लिपिक/अधीक्षक, जो निविदाओं और संविदाओं, भंडार की खरीद के लिए मांग-पत्रों और बिलों के सत्यापन से संबंधित कार्य करते हैं।

(संदर्भ:- बोर्ड का दिनांक 27.4.79 का पत्र सं. ई(एनजी)11/78/टीआर/85, दिनांक 7.2.80 का पत्र सं. ई(एनजी)11/78/टीआर/82, दिनांक 22.8.80, 31.12.81, 19.2.86, 16.10.87 का पत्र सं. ई(एनजी)11/80/टीआर/28, दिनांक 27.9.89 का पत्र सं. ई(एनजी)11/87/टीआर/34/एनएफआईआर/जेसीएम/डीसी, दिनांक 2.5.95 का पत्र सं. ई(एनजी)11/94/टीआर/29, दिनांक 21.5.2002 का पत्र सं. ई(एनजी)11/2001/टीआर/22, दिनांक 13.9.2002 एवं 23.2.2006 का पत्र सं. ई(एनजी)11/2002/टीआर/19, दिनांक 28.3.2005 का पत्र सं. ई(एनजी)11/94/टीआर/29, दिनांक 1.4.2009 का पत्र सं. ई(एनजी)11/2007/टीआर/27 तथा दिनांक 18.8.2020 का पत्र सं. ई(एनजी)1-2020/टीआर/8)

6.2 संवेदनशील पदों/सीटों पर कार्यरत कर्मचारियों के लिए एक डेस्क से दूसरे डेस्क पर रोटेशनल शिफ्टिंग करके आवधिक स्थानांतरण की आवश्यकता को पूरा किया जाएगा।

(संदर्भ: बोर्ड का दिनांक 27.4.79 का पत्र सं. ई(एनजी)11/78/टीआर/85)

6.3.1. सतर्कता के आदेश पर स्थानांतरण के आदेश:

सतर्कता संगठन/विशेष पुलिस कार्यालय के आदेश पर कई मामलों में स्थानांतरण के आदेश दिया जाते हैं ताकि उचित रूप से जांच में सुविधा हो सके। यह सुनिश्चित करने के लिए कि इसके कारण कोई उत्पीड़न और/या अत्याचार न हो, मंडल के नियंत्रणाधीन कर्मचारियों के लिए मंडल रेल प्रबंधक तथा मुख्यालय के नियंत्रणाधीन कर्मचारियों के लिए मुख्य कार्मिक अधिकारी (प्रशासन) वास्तविक शिकायत के अभ्यावेदनों की सुनवाई कर सकते हैं, यदि कोई शिकायत स्थानांतरण को प्रभावी करने वाले अंतिम निर्णय से पहले की गई हो। बहरहाल, यह प्रक्रिया मान्यताप्राप्त यूनियनों के पदधारकों पर लागू नहीं होगी, जो आदेशों के अलग सेट द्वारा शासित होते हैं।

(संदर्भ:- बोर्ड का दिनांक 6.2.78 और 27.5.78 का पत्र सं. ई(एनजी)11/77/टीआर/112).

6.3.2 जब कभी सक्षम प्राधिकारी द्वारा, शिकायतों, सीबीआई/सतर्कता जांच आदि के आधार पर स्थानांतरण आदेश जारी किया जाता है, और तत्पश्चात् कर्मचारी द्वारा स्थानांतरण आदेश को वास्तव में मूल रूप से स्वीकार किए बिना स्थानांतरण आदेश को रद्द करने या संबंधित कर्मचारी को एक वर्ष के भीतर तैनाती के मूल स्थान पर वापस लाने का प्रस्ताव किया जाता है तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्थानांतरण आदेशों में परिवर्तन के लिए अपेक्षित कारणों के संबंध में पूरा ब्यौरा देने के बाद अगले उच्च प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त किया जाना चाहिए। रेलवे प्रशासन का यह भी प्रयास होना चाहिए कि

सतर्कता मामले के परिणामस्वरूप दंडित किसी कर्मचारी को सार्वजनिक कार्यों से जुड़े किसी भी पद पर, विशेष रूप से भ्रष्टाचार की संभावना वाले क्षेत्रों में तैनात न किया जाए।

(संदर्भ:- बोर्ड का दिनांक 21.7.88 का पत्र सं. ई(एनजी)।/80/टीआर/28)

6.3.3 अनाचार में संलिप्त होने के संदिग्ध टिकट चेकिंग स्टाफ को नीतिगत मामले के रूप में अनियंत्रित सामाजिक बुराई के विरुद्ध अभियान के एक उपाय के रूप में अंतर-विभागीय/अंतर-क्षेत्रीय आधार पर निरपवाद रूप से स्थानांतरित किया जाना चाहिए।

सतर्कता/अनुशासनात्मक आधार पर अन्य रेलों/मंडलों में स्थानांतरित किए गए दोषी रेलवे कर्मचारियों की उनके मूल रेल मंडल में वापसी विभिन्न प्रकार के मामलों के संबंध में निम्नलिखित तरीकों से निर्धारित की जा सकती है:

(i) मामले जो अंत में माफी में समाप्त होते हैं: यदि वास्तविक (मूल) रेलवे/मंडल में वापस तैनाती के लिए संबंधित कर्मचारियों से कोई अनुरोध प्राप्त होता है, तो डी एंड एआर कार्यवाही के बंद होने के बाद किसी भी समय महाप्रबंधक द्वारा विचार किया जा सकता है; दूसरे शब्दों में, आवेदक के इतर रेलवे/मंडल में रहने पर कोई न्यूनतम समय सीमा लागू नहीं होगी।

(ii) मामले जो अंततः छोटी शास्ति लगाकर समाप्त होते हैं: यदि वास्तविक (मूल) रेलवे/मंडल में वापस तैनाती के लिए संबंधित कर्मचारियों से अनुरोध प्राप्त होता है, तो दंड की अवधि के पूरा होने की तारीख के 3 वर्ष के बाद ही महाप्रबंधक (महाप्रबंधकों) द्वारा इस पर विचार किया जा सकता है।

(iii) मामले जो अंततः बड़ी शास्ति लगाकर समाप्त होते हैं: यदि वास्तविक (मूल) रेलवे/मंडल में वापस तैनाती के लिए संबंधित कर्मचारियों से अनुरोध प्राप्त होते हैं, तो दंड की अवधि के पूरा होने की तारीख के 6 वर्ष के बाद ही महाप्रबंधक (महाप्रबंधकों) द्वारा इस पर विचार किया जा सकता है।

(iv) ऊपर पैरा (ii) तथा (iii) के अंतर्गत आने वाले मामलों के संबंध में, यथावत् उसी कार्यालय/स्थान/स्टेशन, जहां अनियमितता मूल रूप से की गई थी/सतर्कता द्वारा इसका पता लगाया गया था, पर तैनाती की अनुमति नहीं है।

(v) वास्तविक (मूल) रेलवे/मंडल में वापस तैनाती के लिए अनुरोधों पर विचार नहीं किया जाएगा यदि कर्मचारी "आदतन" अपराधी (वे जिनके विरुद्ध बार-बार अपराध दर्ज किए गए हों) की कोटि में आते हैं और/या ऐसे कर्मचारी जिनके विरुद्ध (अन्य) सतर्कता संबंधी मामले, अनुरोध पर विचार करने के समय लंबित हैं।

उपर्युक्त प्रावधानों से संबंधित शक्तियों का निष्पादन संबंधित क्षेत्रीय रेलों/उत्पादन इकाइयों के महाप्रबंधक (महाप्रबंधकों) द्वारा व्यक्तिगत रूप से किया जाएगा और इन्हें आगे प्रत्यायोजित नहीं किया जाएगा।

इसके अलावा, रेलवे के विभाजन के कारण, जब कर्मचारी को प्रशासनिक आधार पर एक ही रेलवे के अलग-अलग मंडलों में स्थानांतरित किया जाता है और वह एक ही रेल के अलग-अलग मंडलों में तैनात हो गए हों, तब उन कर्मचारियों, जिन्हें पहले प्रशासनिक आधार/सतर्कता के आधार पर दूसरे मंडल में स्थानांतरित किया गया था, द्वारा किए गए स्थानांतरण के अनुरोध पर दोनों संबंधित महाप्रबंधकों अर्थात् कार्यमुक्त करने वाले और कार्यभार ग्रहण करवाने वाले द्वारा दी गई स्वीकृति के अध्यक्षीन उनके मूल रेलवे में स्थानांतरण के लिए विचार किया जा सकता है। परंतु मामला-दर-मामला आधार पर उनके मूल मंडल में नहीं।

(संदर्भ:- बोर्ड का दिनांक 23.10.2006 का पत्र सं. ई(एनजी)।-2004/टीआर/22 और दिनांक 25.09.2016 का पत्र सं. ई(एनजी)।-2004/टीआर/22).

6.4 पदोन्नति पर/संवर्ग के छोटा होने के कारण/कानूनी भर्तियों आदि को छोड़कर प्रशासनिक आधार पर एक वरिष्ठता इकाई से दूसरी वरिष्ठता इकाई में रेल कर्मचारियों के स्थानांतरण के आदेश कभी-कभार और केवल सार्वजनिक हित में ही किए जाने चाहिए अर्थात् ऐसे मामले में जहां किसी कर्मचारी का आचरण की जांच की जा रही हो या जहां प्रशासनिक हित में यह विचार किया जाता है कि रेल कर्मचारी को किसी अन्य स्टेशन पर रखा जाना चाहिए। स्थानांतरण के ऐसे मामले में, स्थानांतरित किए गए ऐसे कर्मचारी को वरिष्ठता का संरक्षण दिया जाता है, जिससे उस इकाई में पदोन्नति की प्रतीक्षा कर रहे कर्मचारियों को कठिनाई होती है, जहां उनका स्थानांतरण किया गया है। इसलिए, ऐसे स्थानांतरणों के आदेश केवल तब किए जाने चाहिए जब पूर्णतः अनिवार्य हो। जहां किसी रेल कर्मचारी के विरुद्ध कोई जांच लंबित हो, वहां इस पर शीघ्रता से कार्रवाई की जानी चाहिए और जितना जल्दी हो मामले को अंतिम रूप दिया जाना चाहिए ताकि रेल कर्मचारी को वरिष्ठता की मूल इकाई में वापस स्थानांतरित किया जा सके।

(संदर्भ:- बोर्ड का दिनांक 25.1.69 का पत्रसं. ई(एनजी)।/68/एसआर6/28).

7 एकतरफा स्वयं के अनुरोध के आधार पर स्थानांतरण

7.1 रेल कर्मचारियों के वरिष्ठता की समान इकाई के भीतर उनके स्थानांतरण के अनुरोध पर विचार करने से संबंधित रेल कर्मचारियों की वरिष्ठता की हानि नहीं होती है। ऐसे अनुरोध सामान्यतः पारिवारिक सुविधा या शैक्षणिक सुविधाओं आदि के आधार पर किए जाते हैं। ऐसे अलोकप्रिय स्टेशनों जहां से रेल कर्मचारियों द्वारा स्थानांतरण मांगा जाता है वहां यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि पंजीकरण द्वारा

लोकप्रिय स्टेशन पर स्थानांतरित करने की पूर्वापेक्षित शर्त के रूप में ऐसे स्टेशनों पर सेवा की न्यूनतम अवधि का निर्धारण करते हुए इन स्टेशनों पर अधिकृत संख्या में कर्मचारी तैनात किए जाएं।

(संदर्भ:- बोर्ड का दिनांक 10.1.71 का पत्र सं. ई(एनजी)11/77/टीआर/14).

7.2 स्थानांतरण के अनुरोधों पर संगठित पद्धति से कार्यवाही की जानी चाहिए और उनके अनुरोधों पर कार्रवाई करने के संबंध में कर्मचारी के मस्तिष्क में किसी प्रकार की शिकायत की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। यदि उस स्थान पर जहां कर्मचारी ने स्थानांतरण मांगा है, संवर्ग में रिक्ति होती है तो वहां पर अनुरोध तत्काल स्वीकार करने और संवर्ग प्राधिकारियों को सूचित करने में, जहां से स्थानांतरण किया जाना है, कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। इस कार्य के लिए मंडल/कारखानों/क्षेत्रीय मुख्यालय की इकाइयों में सही ढंग से रजिस्ट्रों का रख-रखाव होना चाहिए।

(संदर्भ:- बोर्ड का दिनांक 25.5.83 का पत्र सं. ई(रिप)1-83एडी1/मिस./स्टाफ ग्रीव. और दिनांक 6.6.83 का पत्र सं. ई(एनजी)1-83/टीआर/26)

7.3 जहां अनुरोधों में उसी रेल/अन्य रेल पर वरिष्ठता की एक भिन्न इकाई/अन्य मंडल में स्थानांतरण शामिल हो, वहां स्थानांतरण के आदेश सभी स्रोतों से स्वीकृति प्राप्त होने और नई इकाई द्वारा स्वीकार किए जाने के पश्चात् ही किए जाने चाहिए। अनुरोध पर स्थानांतरण केवल तभी अनुमत है जब आरंभिक भर्ती ग्रेडों में या ऐसे मध्यवर्ती ग्रेडों में जिनमें निचली वरीयता पर सीधी भर्ती का कारक हो। एक कर्मचारी को किसी अन्य क्षेत्रीय रेल में स्थानांतरण के अनुरोध मांगे जाने से पूर्व परिवीक्षा अवधि, प्रशिक्षण अवधि, जहां कहीं भी निर्धारित हो, के साथ 05 वर्ष की रेल सेवा पूरी करना अपेक्षित होता है। बहरहाल, महाप्रबंधक, मान्यताप्राप्त मजदूर संघों के परामर्श से सुचारु गाड़ी परिचालन के लिए महत्वपूर्ण पदों पर कार्मिक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए अराजपत्रित संवर्ग में विशिष्ट कोटियों के लिए अंतर-रेलवे स्थानांतरण की न्यूनतम सेवा अवधि को 5 वर्ष से बढ़ाकर 10 वर्ष तक कर सकता है। कर्मचारी के पास उस ग्रेड, जिसके लिए स्थानांतरण मांगा गया है, के लिए सीधी भर्ती हेतु निर्धारित शैक्षणिक अर्हता होनी चाहिए। ऐसे स्थानांतरित किए गए कर्मचारी को पिछली इकाई में उनकी सेवा अवधि और ओहदे पर ध्यान दिए बिना नई इकाई में उनके कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से संगत ग्रेड में स्थायी या तदर्थ आधार पर नई इकाई में सीधी भर्ती कोटा रिक्ति के निमित्त समायोजित किया जाना है और उसकी वरीयता नई इकाई में सभी मौजूदा कर्मचारियों से नीचे निर्धारित की जानी है। मध्यवर्ती ग्रेडों जहां सभी रिक्तियां पूर्णतः निचले ग्रेड (ग्रेडों) में, कर्मचारियों की पदोन्नति द्वारा भरी जाती हैं, में व्यक्तिगत अनुरोध पर स्थानांतरण के आदेश नहीं किए जाने चाहिए।

महाप्रबंधक, बिना बारी के आधार पर अराजपत्रित रेल कर्मचारियों के स्थानांतरण के अनुरोध की अनुमति का निर्णय ले सकते हैं। ऐसे अनुरोधों पर केवल विरल मामलों में ही विचार किया जा सकता है, जहां स्वीकृतकर्ता रेलवे से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त हो गया हो और मूल रेल में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित कर दिया गया हो। महाप्रबंधक, बिना बारी के आधार पर स्थानांतरण के अनुरोध के ऐसे

मामलों को अग्रोषित करने पर भी विचार कर सकता है, जब आपवादिक परिस्थितियों में उन पर विचार किया जाना अपेक्षित हो।

(संदर्भ:- बोर्ड के दिनांक 30.9.65, 29.1.66, और 1.4.66 के पत्र सं. ई(एनजी)65एसआर6/31, दिनांक 31.3.71 का पत्र सं. ई(एनजी)11/71/टीआर/1, दिनांक 7.6.88 का पत्र सं. ई(रिप)1/88ई/12/6/115, दिनांक 8.2.2000 का पत्र सं. ई(एनजी)1/71/टीआर/15, दिनांक 23.04.2019 का पत्र सं. ई(एनजी)1-2015/टीआर/20, दिनांक 10.3.2022 का पत्र सं. ई(एनजी)1-2017/टीआर/24, दिनांक 23.03.2022 का पत्र सं. ई(एनजी)1-2017/टीआर/24, दिनांक 17.09.2018 का पत्र सं. ई(एनजी)1-2018/टीआर/14 तथा दिनांक 10.06.2022 का पत्र सं. ई(एनजी)1-2018/टीआर/14)

7.4 एक रेलवे/इकाई/मंडल से दूसरी रेलवे/इकाई/मंडल में खेलकूद कोटा के अंतर्गत भर्ती खिलाड़ियों के स्थानांतरण मामलों पर विचार करने के लिए सभी क्षेत्रीय रेलों और इकाइयों में निम्नलिखित अनुदेश लागू होंगे:

(i) पात्रता शर्तें:-

- क) परिवीक्षा अवधि, प्रशिक्षण अवधि, जहां कहीं भी निर्धारित हो, सहित रेलों पर न्यूनतम 05 वर्ष की सेवा; और
- ख) व्यक्ति एक नियमित कर्मचारी होना चाहिए;

(ii) उपर्युक्त पैरा (i) में यथा उल्लिखित शर्तों में अपवाद निम्नलिखित परिस्थितियों में हो सकता है:-

- क) जहां खिलाड़ी का पति/पत्नी केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र का कोई कर्मचारी हो और खिलाड़ी ने पति/पत्नी के स्थान पर स्थानांतरण के लिए अनुरोध किया हो;
- ख) जब कोई खिलाड़ी गंभीर शारीरिक और मानसिक बीमारी से पीड़ित हो, जिससे वह खेलकूद में प्रतिस्पर्धा के लिए अयोग्य हो जाए और वह किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरण चाहता हो, जहां उस बीमारी के लिए बेहतर इलाज की सुविधाएं उपलब्ध हों; और
- ग) जब खिलाड़ी एक रेलवे/मंडल/इकाई से दूसरी रेलवे/मंडल/इकाई में पारस्परिक आधार पर अपने स्थानांतरण के लिए अनुरोध करे, बशर्ते कि ऐसे दोनों कर्मचारी खिलाड़ी हों।

(iii) खिलाड़ियों का अंतर-रेलवे/अंतर-मंडलीय/इकाई में स्थानांतरण उस रेलवे के महाप्रबंधक की सक्षमता के भीतर होगा और केवल उसके व्यक्तिगत अनुमोदन के पश्चात् ही इस पर निर्णय लिया जाएगा।

(iv) रेलों में कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात् मान्यताप्राप्त अंतरराष्ट्रीय चैम्पियनशिपों में पदक विजेता प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों के अंतर-रेलवे स्थानांतरण के लिए पांच वर्ष की सेवा शर्त में छूट, रेलवे बोर्ड द्वारा उसके अनुरोध पर दी जा सकती है।

(v) उसी रेल में एक मंडल/इकाई से दूसरी मंडल/इकाई में स्थानांतरण के मामलों में छूट का निर्णय संबंधित महाप्रबंधक द्वारा लिया जा सकता है, जैसाकि अन्य अराजपत्रित रेल सेवकों के मामले में होता है।

(vi) स्थानांतरणों को शासित करने वाली सामान्य शर्तें जैसे उस कोटि/पद, जिसके लिए स्थानांतरण मांगा गया है, पर भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षणिक अर्हताएं, निचली वरीयता आदि देना, खिलाड़ियों के स्वयं के अनुरोधों पर उनके स्थानांतरण के सभी मामलों में लागू होगा।

(vii) बहरहाल, चूंकि, खिलाड़ियों की भर्ती तीन वर्ष की जॉब ट्रेनिंग के साथ तकनीशियन ग्रेड III में अनुमत है, अतः 03 वर्ष का प्रशिक्षण पूरा कर लेने के बाद ही उन्हें निचली वरीयता पर अंतर-रेलवे स्थानांतरण के लिए अनुरोध करने की अनुमति भी दी जा सकती है।

(संदर्भ:- बोर्ड का दिनांक 17.02.2011, 25.05.2011 एवं 07.03.2012 का पत्र सं. 2011/ई(स्पोर्ट्स)/4(3)/4(ट्रांसफर पॉलिसी), दिनांक 24.02.2011 का पत्र सं. 2011/ई(स्पोर्ट्स)/4(1)/1पॉलिसी क्लेरीफिकेशन, दिनांक 18.08.2017 का ई(एनजी)-2017/टीआर/23 और दिनांक 18.09.2017 का पत्र सं. 2017/ई (स्पोर्ट्स)/4(1)/6(ट्रांसफर पॉलिसी)

7.5 भारतीय रेल स्थापना नियमावली, जिल्द-1 के पैरा 312 के अनुसार, एकतरफा स्थानांतरण के अनुरोध "संगत ग्रेड" में होते हैं। "संगत ग्रेड" वह ग्रेड है जिसमें सीधी भर्ती का कारक होता है। महाप्रबंधक, स्वयं यह निर्णय लेते हैं कि क्या एकतरफा स्थानांतरण के अनुरोध के लिए यह एक संगत ग्रेड है।

(संदर्भ:- बोर्ड का दिनांक 02.03.2016 का पत्र सं. ई(एनजी)-2015/टीआर/15).

7.6 नई इकाई में स्थानांतरित किए गए कर्मचारी को उसके स्थानांतरण के अनुमोदन की तारीख से वरीयता देना वांछनीय/व्यावहारिक नहीं होगा, जब वह कर्मचारी अभी भी अपनी मूल इकाई में कार्य कर रहा है। उसे कार्यमुक्त करने के लिए शीघ्र ही हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए। मामले को, डीआरएम/सीडब्ल्यूएम के सीनियर डीपीओ/डब्ल्यूपीओ द्वारा, जैसा भी मामला हो, विलंब का विशिष्ट कारण देते हुए प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

(संदर्भ:- बोर्ड का दिनांक 26.11.2019 का पत्र सं. ई(एनजी)//2019/पीएम 2/18सीसी)

7.7 बोर्ड द्वारा यह विनिश्चय किया गया है कि प्राप्तकर्ता रेलवे द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र छह माह तक वैध होना चाहिए और यदि संबंधित कर्मचारियों का स्थानांतरण इस अवधि के भीतर नहीं होता है तो ऐसे मामलों में अनापत्ति प्रमाण-पत्र को अनिवार्य रूप से पुनः वैध किया जाना चाहिए। कर्मचारी को केवल अनापत्ति प्रमाण-पत्र की वैधता की पुनः पुष्टि करने के बाद ही स्थानांतरण पर कार्यमुक्त किया जाना चाहिए।

(संदर्भ: दिनांक 01.10.2020 का पत्र सं. ई(एनजी)/2020/टीआर/16)

7.8 रेलें यह सुनिश्चित करें कि केवल ऐसे अंतर-रेलवे स्थानांतरणों के अनुरोध ही अग्रेषित किए जाएं जिनमें उस रेलवे द्वारा जहां के लिए स्थानांतरण मांगा गया है, स्वीकृति के मामले में रिलीफ की तर्कसंगत संभाव्यता हो। ऐसा करते समय, विभिन्न कारक जैसे अन्य रेलों/मंडलों से विभागीय पदोन्नतियों/अंतर-मंडलीय/अंतर-रेलवे स्थानांतरण के माध्यम से संवर्ग में शामिल किए जा सकने वाले कर्मचारियों की संख्या तथा आरआरबी मांगों के माध्यम से स्थानांतरण का ध्यान रखा जाना चाहिए ताकि एक बार अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर संबंधित कर्मचारी को शीघ्र कार्यमुक्त किया जा सके।

(संदर्भ: दिनांक 20.09.2019 का पत्र सं. ई(एनजी)-2019/टीआर/11)

8. पारस्परिक आधार पर स्थानांतरण

8.1 कोई भी रेल कर्मचारी जो किसी रेलवे/मंडल/इकाई की रेल सेवा का सदस्य है तो वह भारतीय रेल स्थापना संहिता जिल्द-1 के पैरा 226 में निहित प्रावधानों के अध्याधीन अन्य रेलवे/इकाई/मंडल के उसी ग्रेड में कार्यरत अन्य रेलवे इकाई/मंडल के कर्मचारी के साथ या स्वेच्छा तथा बिना किसी शर्त के प्रत्यावर्तन पर (यदि उच्च/विभिन्न ग्रेड में कार्यरत) पारस्परिक स्थानांतरण के लिए मांग कर सकता है।

8.2 पारस्परिक स्थानांतरण के लिए मंडल स्तर पर नियंत्रित पदों के लिए मंरेप्र, कारखानों द्वारा नियंत्रित पदों के लिए सीडब्ल्यूएम तथा मुख्यालय द्वारा नियंत्रित पदों के लिए महाप्रबंधक या कोई और निम्न स्तर का प्राधिकारी, जिसे शक्तियां सौंपी गई हैं, सक्षम प्राधिकारी होता है।

8.3 पारस्परिक अदला-बदली के आधार पर स्थानांतरण पर वरीयता का निर्धारण

(i) दोनों कर्मचारियों में से वरिष्ठ कर्मचारी को कनिष्ठ कर्मचारी द्वारा रिक्त किया गया वरिष्ठ पद प्रदान किया जाएगा। नई इकाई में कार्यभार ग्रहण करने के बाद कनिष्ठ कर्मचारी को उसकी पूर्व वरीयता प्रतिधारित करने की अनुमति होगी और उसे समान वरीयता वाले व्यक्तियों के नीचे की वरीयता में रखा जाएगा।

(संदर्भ : भारतीय रेल स्थापना संहिता, जिल्द 1, 1985 संस्करण का पैरा 230)

(ii) किसी एक मंडल, कार्यालय अथवा रेलवे के एक संवर्ग से अन्य मंडल, कार्यालय अथवा रेलवे के समरूपी संवर्ग में पारस्परिक अदला-बदली के आधार पर स्थानांतरित रेल कर्मचारी ग्रेड में पदोन्नति की तारीख के आधार पर अपनी वरीयता प्रतिधारित करेंगे अथवा जिस रेल कर्मचारी के साथ उन्हें परिवर्तित किया है, उसकी वरीयता लेंगे, दोनों में से जो भी कम हो।

पारस्परिक स्थानांतरण के अनुदेशों के क्षेत्र में अंतर-मंडलीय पारस्परिक स्थानांतरण उल्लिखित नहीं है। समान वरीयता इकाई के भीतर स्थानांतरण करने में मंडल/संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी सक्षम होते हैं और इसलिए पारस्परिक स्थानांतरण के अनुदेश लागू नहीं होते हैं।

{संदर्भ : भारतीय रेल स्थापना संहिता, जिल्द 1, 1985 संस्करण का पैरा 310 और दिनांक 05.08.2022 का ई(एनजी)-2020/टीआर/13}

(iii) क्षेत्रीय रेलों के महाप्रबंधक स्वयं अथवा निचले स्तर के प्राधिकारी, जिन्हें शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं, निर्णय ले सकते हैं कि पारस्परिक स्थानांतरण की मांग कर रहे दोनों कर्मचारियों के समनुरूपी संवर्ग हैं या नहीं?

{संदर्भ : बोर्ड का दिनांक 02.03.2016 का पत्र सं. ई(एनजी)-2015/टीआर/15 और उक्त पैरा 7.3(ii)}

(iv) पारस्परिक स्थानांतरण का आदेश दोनों पार्टियों की सहमति के साथ किया जाता है पारस्परिक स्थानांतरण के लिए आवेदनों को अग्रेषित करने के समय ही यह स्पष्ट कर दिया जाए कि किसी भी परिस्थिति में पारस्परिक अदला-बदली व्यवस्था से पीछे हटने के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

{संदर्भ: बोर्ड का दिनांक 21.04.2006 का पत्र सं. ई(एनजी)-2006/टीआर/6 और दिनांक 11.01.2019 का पत्र सं. ई(एनजी)-2018/टीआर/8}

8.4 पारस्परिक स्थानांतरण की अनुमति दो विभिन्न ग्रेडों के कार्मिकों के बीच भी दी जा सकती है, परंतु संवर्ग के केवल भर्ती ग्रेड में न कि मध्यवर्ती ग्रेड में। भविष्य में मुकदमेबाजी से बचने के लिए पारस्परिक अदला-बदली चाहने वाले दोनों कर्मचारियों को लिखित में घोषणा करनी होगी कि वे बिना किसी शर्त के और स्वेच्छा से भर्ती ग्रेड में स्वहित में प्रत्यावर्तन तथा अपनी संबंधित नई इकाई में निचली वरीयता को स्वीकार करते हैं।

{संदर्भ : बोर्ड का दिनांक 21.04.2006 का पत्र सं. ई(एनजी)-2006/टीआर/6 और दिनांक 26.10.2018 तथा 11.01.2019 का पत्र सं. ई(एनजी)-2018/टीआर/8}

8.5 पारस्परिक अदला-बदली के आधार पर स्थानांतरण को समान कोटि के कर्मचारियों के बीच ही अनुमति मिलेगी (अर्थात् सामान्य के साथ सामान्य, अनुसूचित जाति के साथ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के साथ अनुसूचित जनजाति)। बहरहाल, भर्ती ग्रेडों में निचली वरीयता पर स्थानांतरणों को पद आधारित रोस्टर्स में अंकों के संदर्भ में प्रतिबंधित करने की आवश्यकता नहीं है। सामान्यतः इस संबंध में कमी/अधिकता को समायोजित करने के लिए अनुसरण की जा रही प्रक्रिया को भविष्य में भी जारी रखा जाए। लेकिन ऐसे स्थानांतरणों की केवल सीधी भर्ती कोटा के रिक्त पदों के लिए ही पुनरावृत्ति की अनुमति दी जाए न कि पदोन्नति कोटा पदों के लिए। उक्त अनुदेश पद आधारित

रोस्टरो के संचालन/रखरखाव के संबंध में इस मंत्रालय द्वारा यथा निर्धारित मौजूदा प्रक्रिया में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं करते हैं।

(संदर्भ : बोर्ड का दिनांक 14.08.2007 का पत्र सं. ई(एनजी)।-2004/टीआर/16)

8.6 पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कोई आरक्षण न होने के कारण, "सामान्य" शब्द में अन्य पिछड़ा वर्ग भी शामिल होगा। अन्य शब्दों में, सामान्य/अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंध रखने वाले कर्मचारी सामान्य/अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंध रखने वाले कर्मचारियों के साथ पारस्परिक स्थानांतरण कर सकते हैं।

8.7 भर्ती ग्रेडों में भी बिना किसी प्रतिबंध के पारस्परिक स्थानांतरण की अनुमति है, बशर्ते कि :-

(i) ग्रेड में पद पूरी तरह से खुली प्रतियोगिता से सीधी भर्ती द्वारा भरे गए हों;

(ii) ऐसे मामलों में जहां ग्रेड में पद आंशिक रूप से पदोन्नति द्वारा तथा आंशिक रूप से सीधी भर्ती द्वारा भरे गए हों, पारस्परिक स्थानांतरण चाहने वाले दोनों कर्मचारियों की भर्ती सीधे खुली प्रतियोगिता से हुई होनी चाहिए; इससे अभिप्राय यह है कि इन दोनों को सीधी भर्ती के लिए बनाए गए पद आधारित रोस्टरो में शामिल किया जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में, यदि एक या दोनों कर्मचारी पदोन्नति के लिए बनाए गए पद आधारित रोस्टर में शामिल हैं, तो दिनांक 14.08.2007 के अनुदेशों के अनुसार पारस्परिक स्थानांतरण पर प्रतिबंध लागू होंगे।

(संदर्भ : बोर्ड का दिनांक 22.10.2007 का पत्र सं. ई(एनजी)।-2004/टीआर/16)

8.8 सभी पारस्परिक स्थानांतरण मामलों में जहां दोनों रेलों/इकाइयों द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र दे दिया गया है अर्थात् स्वीकार करना और कार्यमुक्त करना, तब रिलीवर की प्रतीक्षा किए बिना, दोनों कर्मचारियों को तुरंत कार्यमुक्त कर दिया जाना चाहिए। नए मंडल में प्रस्तुत करने के लिए कर्मचारी को सेवा रिकॉर्ड और असत्यापित एलपीसी की एक प्रति दी जानी चाहिए। मूल सेवा रिकॉर्ड/एलपीसी भी 15 दिनों के भीतर अवश्य भेज दिया जाना चाहिए।

(संदर्भ : बोर्ड का दिनांक 09.05.2018 का पत्र सं. ई(एनजी)।-2017/टीआर/24)

8.9 किसी मंडल/कार्यालय/रेल/उत्पादन इकाई/इकाई के किसी भी विभाग/संवर्ग से संबंधित स्तर-1 (ग्रेड वेतन 1800/-रु.) में कार्यरत एक पूर्ववर्ती समूह "घ" कर्मचारी को किसी अन्य मंडल/कार्यालय/रेल/उत्पादन इकाई/इकाई के किसी भी विभाग/संवर्ग से संबंधित स्तर-1 (ग्रेड वेतन 1800/-रु.) में कार्यरत किसी अन्य कर्मचारी से "समरूपी संवर्ग" शब्द की प्रयोज्यता के बिना पारस्परिक अदला-बदली के आधार पर स्थानांतरण पर जाने की अनुमति दी जा सकती है। बहरहाल, यह व्यवस्था निर्धारित चिकित्सीय मानक को पूरा करने के अध्यधीन है। इस प्रकार स्थानांतरित किए गए कर्मचारी को नई इकाई में निरपवाद रूप से कार्य पद पर भेजने से पहले, जहां आवश्यक समझा जाए प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। इस प्रशिक्षण

अवधि को इयूटी के रूप में माना जाए। ये अनुदेश केवल स्तर-1 पदों पर पारस्परिक अदला-बदली के आधार पर होने वाले स्थानांतरण के लिए हैं, न कि किसी अन्य प्रकार के स्थानांतरण के लिए। इसके अतिरिक्त, ये प्रावधान स्तर-2 या उससे ऊपर के स्तर पर कार्यरत अराजपत्रित रेल कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे।

(संदर्भ : बोर्ड का दिनांक 06.07.2018 का पत्र सं. ई(एनजी)|-2017/टीआर/19)

8.10 पारस्परिक स्थानांतरण के मामलों से निपटने के लिए आदर्श घटनाक्रम निम्नानुसार है :-

1. पर्यवेक्षकों द्वारा मंडल के कार्मिक विभाग को आवेदन अग्रेषित करना - 10 दिन
2. मंडल कार्मिक विभाग द्वारा अग्रेषण - 15 दिन
3. मुख्यालय कार्मिक विभाग द्वारा अग्रेषण (मुख्यालय नियंत्रित पदों के लिए) - 15 दिन
4. स्वीकृति की सूचना - 10 दिन
5. स्थानांतरण आदेश जारी करना - 10 दिन
6. एलपीसी और सेवा रिकॉर्ड का प्रेषण - 15 दिन

(संदर्भ : बोर्ड का दिनांक 22.09.2017 का पत्र सं. ई(एनजी)|-2017/टीआर/24)

9. पति या पत्नी के आधार पर स्थानांतरण

9.1 जीवन के सभी क्षेत्रों में महिलाओं की स्थिति में वृद्धि को देखते हुए और सामान्य पारिवारिक जीवन जीने के साथ-साथ बच्चों की शिक्षा और कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए, केंद्र सरकार की नौकरियों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए पति-पत्नी दोनों की अनिवार्य रूप से निम्न परिस्थितियों में एक ही स्टेशन पर नियुक्ति करने का एक ठोस प्रयास किया गया है:-

(i) जहां पति-पत्नी दोनों रेल कर्मचारी हैं और समान वरिष्ठता इकाइयों से संबंध रखते हैं

यदि पति और पत्नी एक ही विभाग में कार्यरत हैं और यदि आवश्यक स्तर का पद उपलब्ध है तो दोनों को निरपवाद रूप से एक साथ तैनात किया जाना चाहिए ताकि वे सामान्य पारिवारिक जीवन यापन कर सकें तथा अपने बच्चों के कल्याण का ध्यान रख सकें, विशेषकर जब तक बच्चे 18 वर्ष के न हो जाएं। यह केंद्रीय स्टाफिंग योजना के तहत नियुक्ति पर लागू नहीं होगा। जहां केवल पत्नी सरकारी कर्मचारी है, वहां उक्त रियायत सरकारी कर्मचारी पर लागू होगी। अतः यह सुनिश्चित करते हुए कि उनमें से कोई एक अन्य का अधीनस्थ के रूप में काम न करता हो, दोनों रेल कर्मचारियों की तैनाती एक स्टेशन/स्थान पर की जा सकती है।

(ii) जहां दोनों पति-पत्नी रेल कर्मचारी हैं और अलग-अलग वरिष्ठता इकाइयों से संबंध रखते हैं

दोनों रेल कर्मचारियों को ऐसे स्टेशन पर तैनात करने के प्रयास किए जाएं जहां उनकी वरिष्ठता इकाइयों में उचित स्तर पर पद मौजूद हों, ऐसा न होने पर, इस मामले में अन्य सभी संगत नियमों को ध्यान में रखते हुए श्रेणी में परिवर्तन के अनुरोध पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जा सकता है।

(iii) जहां पति/पत्नी में से एक रेलवे कर्मचारी है और दूसरा अखिल भारतीय सेवा या दूसरी केंद्रीय सेवा से संबंध रखता है

रेल कर्मचारी को उस रेल/मंडल/उत्पादन इकाई में ऐसे स्टेशन/स्थान पर तैनात किया जाना चाहिए जिसके क्षेत्रीय अधिकार-क्षेत्र में उसके पति या पत्नी की तैनाती का स्थान/राज्य पड़ता हो अथवा यदि पति/पत्नी की तैनाती के स्थान पर कोई रेल संगठन/पद न हो तो जितना संभव हो सके उसके नज़दीक होना चाहिए।

(iv) जहां पति/पत्नी में से कोई एक रेल कर्मचारी हो और दूसरा राज्य सेवा में हो

रेल कर्मचारी को उस रेल/मंडल/उत्पादन इकाई में ऐसे स्टेशन/स्थान पर तैनात किया जाना चाहिए जिसके क्षेत्रीय अधिकार-क्षेत्र में उसके पति/पत्नी की तैनाती का स्थान/राज्य पड़ता हो। यदि ऐसा संभव नहीं है, तो पति/पत्नी के नियंत्रण अधिकारी के पास रेल कर्मचारी द्वारा उसके पति/पत्नी की तैनाती रेल कर्मचारी की तैनाती के स्थान पर किए जाने के लिए अनुरोध आता है तो उसे सहानुभूतिपूर्वक विचार के लिए संबंधित प्राधिकारी को भेजा जा सकता है।

(v) जहां पति/पत्नी में से कोई एक रेल कर्मचारी हो और दूसरा केंद्र/राज्य/सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम/स्वायत्त निकाय/निजी क्षेत्र में कार्यरत हो।

रेल कर्मचारी अपने पति/पत्नी के तैनाती के स्थान पर तैनाती के लिए नियंत्रण अधिकारी को आवेदन कर सकता है, जिस पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुकूलता से विचार किया जा सकता है। यदि पति/पत्नी के तैनाती के स्थान पर रेल कर्मचारी की तैनाती के लिए कोई पद उपलब्ध नहीं है, तो उसकी तैनाती पति/पत्नी की तैनाती स्थान के नज़दीक की जा सकती है। यदि यह भी संभव न हो तो, रेल कर्मचारी के पति/पत्नी जो केंद्र/राज्य/सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम में कार्यरत है, की तैनाती रेल कर्मचारी के स्थान या उसके नज़दीक किए जाने के लिए रेल कर्मचारी द्वारा किया गया आवेदन पति/पत्नी के नियंत्रण अधिकारी को अग्रेषित किया जा सकता है।

9.2 संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी कर्मचारी को पति/पत्नी के स्टेशन पर तैनात करने का प्रयास करना चाहिए और ऐसा न कर पाने की स्थिति में कर्मचारी को विशिष्ट कारण बताएं।

9.3 गैर-अनुपालन को रोकने के लिए सुरक्षा उपाय यह सुनिश्चित करके प्रदान किए जा सकते हैं कि अनुदेशों का पालन न करने के विरुद्ध शिकायतों का निर्णय उन अधिकारियों द्वारा लिया जाए जो उन

अधिकारियों से कम से कम एक स्तर ऊपर हैं जिन्होंने मूल निर्णय तब लिया था जब वे वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड स्तर/उत्पादन इकाइयों के प्रमुख से नीचे हैं। ऐसे सभी अभ्यावेदनों पर विचार कर उनका निपटान समयबद्ध तरीके से किया जाए। रेलों के प्रत्येक मंडल और क्षेत्रीय मुख्यालय पर रेल कर्मचारियों से उनके पति/पत्नी की तैनाती वाले स्थान पर तैनाती के अनुरोध दर्ज करने के लिए एक पृथक रजिस्टर रखा जाए, जिनकी सक्षम प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर समीक्षा की जाए।

(संदर्भ: रेलवे बोर्ड का दिनांक 1.1.71 का पत्र सं. ई(एनजी)।।-77/टीआर/14, दिनांक 6.1.88 का पत्र सं. ई(एनजी)।-86/टीआर/14, दिनांक 5.11.97 का पत्र सं. ई(एनजी)।-97/टीआर/28, दिनांक 02.02.2010 का पत्र सं. ई(एनजी)।-2009/टीआर/29, दिनांक 26.04.2019 का पत्र सं. ई(एनजी)।-2019/टीआर/6)

10. रेल कर्मचारियों का स्थानांतरण जो मान्यता प्राप्त ट्रेड यूनियनों के पदाधिकारी हैं

10.1 किसी मान्यता प्राप्त ट्रेड यूनियन की शाखाओं सहित उसके पदाधिकारी रेल कर्मचारियों के स्थानांतरण के किसी भी प्रस्ताव को रेलवे द्वारा संबंधित यूनियन को सूचित किया जाए और यूनियन को इसे मंडल अधिकारी के संज्ञान में लाने की अनुमति है, और यदि आवश्यक हो, तो बाद में प्रस्तावित स्थानांतरण पर कोई भी आपत्ति महाप्रबंधक को बता सकते हैं। यदि निचले स्तरों पर कोई सहमति नहीं बनती है तो महाप्रबंधक का निर्णय अंतिम होगा। प्रस्तावित स्थानांतरण के बारे में यूनियन को पर्याप्त सूचना दी जानी चाहिए ताकि यूनियन कार्य को चलाने के लिए अथवा प्रस्तावित स्थानांतरण के विरुद्ध अभ्यावेदन देने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था कर सके।

(संदर्भ:- बोर्ड का दिनांक 19.2.60 का पत्र सं. ई(एल)60यूटीआई-31)

10.2 सामान्य आवधिक स्थानांतरण के मामले में, जहां अपील पर विचार किए जाने के बाद महाप्रबंधक द्वारा यह स्थानांतरण रद्द न किए जाने का निर्णय लिया जाता है, स्थानांतरण को यूनियन के पदाधिकारियों के लिए अगले चुनावों तक, अधिकतम एक वर्ष की अवधि के अध्यक्षीन लंबित रखने की अनुमति दी जा सकती है। यह जनहित में आदेश किए गए विशेष आधार पर हुए स्थानांतरणों पर लागू नहीं होगा।

(संदर्भ:- बोर्ड का दिनांक 31.7.61 का पत्र सं. ई(एल)61/पीई1/43)

10.3 किसी ऐसे कर्मचारी के मामले में, जिसका स्थानांतरण उसके स्वयं के अनुरोध पर किया गया है, वहां सामान्य प्रक्रिया का अनुसरण करने की आवश्यकता नहीं है। यह कर्मचारी पर निर्भर है कि वह उस यूनियन को संतुष्ट करे जिससे वह संबंधित है।

(संदर्भ:- बोर्ड का दिनांक 06.10.64 का पत्र सं. ई(एल)64यूटीआई-113)

10.4 रोजगार विनियमन के घंटे (एचओईआर) के तहत वैधानिक दायित्वों का पालन करने के लिए किसी कर्मचारी के स्थानांतरण के संबंध में, रेल प्रशासन को सुविधाजनक योजना बना कर प्रक्रिया का पालन करना चाहिए।

(संदर्भ:- बोर्ड का दिनांक 06.10.64 का पत्र सं. ई(एल)64यूटीआई-113)

10.5 यदि किसी कर्मचारी को पदोन्नति पर स्थानांतरित किया जाता है, तो यूनियन को प्रस्तावित स्थानांतरण की केवल सूचना दी जानी चाहिए और उसे तब तक लंबित रखना आवश्यक नहीं है जब तक कि रेलवे कर्मचारी पदोन्नति से इंकार न करना चाहता हो। किसी ट्रेड यूनियन पदाधिकारी को पदोन्नति पर उसी स्टेशन पर समायोजित करने के लिए किसी वरिष्ठ कर्मचारी को पदोन्नत किए गए कर्मचारी के स्थान पर स्थानांतरित करने की आवश्यकता नहीं है, जब तक कि कार्रवाई की यह विधि अन्यथा संभव न हो।

(संदर्भ:- बोर्ड का दिनांक 06.10.64 का पत्र सं. ई(एल)64यूटीआई-113)

10.6 किसी विशिष्ट स्टेशन पर अधिशेष हो जाने पर कर्मचारी का स्थानांतरण उक्त पैरा 9.5 के समान ही माना जाना चाहिए।

(संदर्भ:- बोर्ड का दिनांक 06.10.64 का पत्र सं. ई(एल)64यूटीआई-113)

10.7.1 यदि ट्रेड यूनियन के पदाधिकारी का स्थानांतरण विशेष पुलिस स्थापना मामले में उसकी लिप्तता के कारण किया जाना है तो संबंधित यूनियन को इस स्थानांतरण के बारे में केवल सूचित किया जाए। यूनियन द्वारा दिए गए किसी भी अभ्यावेदन पर विचार किया जा सकता है, लेकिन इस प्रयोजन के लिए स्थानांतरण रोकना आवश्यक नहीं है।

(संदर्भ:- बोर्ड का दिनांक 21.11.64 का पत्र सं. ई(एल)64यूटीआई-113)

10.7.2 उस मामले में प्रक्रिया का अनुसरण करने की आवश्यकता नहीं है, जहां रेलवे के एसपीई/सतर्कता संगठनों द्वारा रेल कर्मचारी का स्थानांतरण आवश्यक समझा जाता है। ऐसे मामले में, स्थानांतरण का निर्णय लेने से पहले महाप्रबंधक द्वारा स्वयं सारे दस्तावेज देखे जाने चाहिए। ट्रेड यूनियन को भी इस स्थानांतरण के बारे में बताया जाए लेकिन इस उद्देश्य के लिए नोटिस देना आवश्यक नहीं है। इसी प्रकार, ऐसे मामले में, जहां सिविल एवं पुलिस प्राधिकारियों ने रेलवे कर्मचारी जो मान्यताप्राप्त यूनियन का पदाधिकारी है, के तत्काल स्थानांतरण की सिफारिश इस आधार पर की है कि वह अवांछनीय गतिविधियों में लिप्त था तथा इससे रेलवे की कुशल कार्यप्रणाली प्रभावित हो रही थी, वहां कोई कार्रवाई नहीं की गई है, सामान्य प्रक्रिया से विचलन पर कोई आपत्ति नहीं है।

(संदर्भ:- बोर्ड का दिनांक 08.08.75 का पत्र सं. ई(एल)75/यूटीआई-176)

10.8 उसी कार्यालय में एक अनुभाग/विभाग से दूसरे में स्थानांतरण के मामले में, यूनियन को पहले से सूचना देने की आवश्यकता नहीं है। बहरहाल, ऐसे स्थानांतरण करते समय यूनियन को स्थानांतरण के विषय में बताया जा सकता है। दूरी पर परंतु उसी स्टेशन पर उसी क्षेत्र के भीतर स्थित किसी अन्य कार्यालय में स्थानांतरण के मामले में सामान्य प्रक्रिया का अनुसरण किया जाए।

(संदर्भ:- बोर्ड का दिनांक 21.11.64 का पत्र सं. ई(एल)64यूटीआई-113)

10.9 महिलाओं के यौन उत्पीड़न में शामिल किसी यूनियन के पदाधिकारी के मामले में, संबंधित रेल प्रशासन संबंधित यूनियन के महासचिव की सहमति के बिना ऐसे व्यक्तियों का स्थानांतरण करने की कार्रवाई कर सकता है। ऐसे मामलों में जहां जांच कर रही समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि ऐसा उत्पीड़न हुआ था और ऐसे मामलों में सतर्कता द्वारा सिफारिश किए गए स्थानांतरण के प्रावधानों का अनुसरण किया जाए। बहरहाल, ऐसे मामलों में ऐसी यूनियनों के महासचिव को स्थानांतरण को प्रभावी करने वाले विवरण के बारे में लिखित में सूचित किया जा सकता है।

(संदर्भ:- बोर्ड का दिनांक 11.01.2005 का पत्र सं. ई(एलआर)III/2004/यूटीएफ-2)

10.10 एक ही स्टेशन पर एक प्रशासनिक क्षेत्राधिकार से दूसरे प्रशासनिक क्षेत्राधिकार में स्थानांतरण पर (उदाहरण के लिए, कारखाना संस्थापना से लोको शेड) के लिए सामान्य प्रक्रिया का अनुसरण किया जाए।

10.11 जहां तक व्यावहारिक हो, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों को उनके मूल जिलों तक ही सीमित रखा जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त यह बताया जाता है कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग रेलवे कर्मचारी यूनियन के निर्वाचित पदाधिकारियों का समान ग्रेड में स्थानांतरण आमतौर पर सामान्य स्थितियों में न किया जाए।

(संदर्भ:- दिनांक 05.03.1999 का पत्र सं. 97-ई(एससीटी)II/22/12)

11. अन्य कोटियों से स्थानांतरण :-

एक विभाग में कार्यरत रेलवे कर्मचारी उस विभाग के प्रमुख जिसमें वे कार्यरत हैं, की पूर्व सहमति के बिना दूसरे विभाग में रोजगार के लिए पात्र नहीं होगा। ऐसी पूर्व सहमति के बिना, किसी कार्यालय या विभाग का अध्यक्ष, यदि वह जानता है या उसके पास ये विश्वास करने का कारण है कि वह व्यक्ति सरकार के अधीन किसी अन्य स्थापना से संबंधित है, तो वह अस्थायी या स्थायी रूप से किसी को नियुक्त नहीं करेगा। एक रेल कर्मचारी जो विभागाध्यक्ष की सहमति के बिना कोई नौकरी स्वीकार करता है, वह अनुशासन का उल्लंघन करता है तथा वह दंडित किया जा सकता है। बहरहाल, संबंधित मंत्र प्र विभागाध्यक्ष के परामर्श के बिना समूह 'घ' रेल कर्मचारियों को (चपरासी, गैंगमैन, खलासी, अकुशल, अर्ध-कुशल आदि) एक विभाग से अन्य विभाग अथवा एक मंडल से अन्य मंडल में स्थानांतरित कर सकता है। यही समान शक्तियां मुख्य कारखाना प्रबंधकों (सीडब्ल्यूएम) को भी उसके नियंत्रण में काम कर रहे कर्मचारियों के लिए प्रदत्त की गई हैं।

(संदर्भ:- बोर्ड का दिनांक 18.07.66 का पत्र सं. ई(एनजी)66/टीआर2/4 और भारतीय रेल संहिता, जिल्द I, 1985 संस्करण का पैरा 231, दिनांक 27.12.2018 का पत्र सं. ई(एनजी)I-2018/टीआर/12)

11.1 लिपिक, लेखा लिपिक, टिकट कलेक्टर, वाणिज्यिक लिपिक, वरिष्ठ लिपिक, कनिष्ठ लेखा सहायक, वाणिज्यिक प्रशिक्षु (अपरेंटिस), यातायात प्रशिक्षु (अपरेंटिस), ईसीआरसी आदि जैसे वाणिज्यिक और अन्य गैर-तकनीकी लोकप्रिय श्रेणियों में श्रेणी परिवर्तन के अनुरोधों पर विचार नहीं किया जाना चाहिए। बहरहाल, प्रक्रिया के अनुसार अधिशेष कर्मचारियों और चिकित्सकीय रूप से विकोटिकृत कर्मचारियों को समाहित किए जाने की प्रशासन की शक्तियां अप्रभावित रहेंगी।

(संदर्भ:- बोर्ड का दिनांक 24.08.2018 का पत्र सं. ई(एनजी)I-2018/टीआर/12 और दिनांक 25.09.2007 का पत्र सं. ई(एनजी)I-2006/टीआर/18)

11.2 कर्मचारियों के स्वयं के अनुरोध के आधार पर अंतर- रेलवे/अंतर-मंडलीय स्थानांतरण के लिए और मंडल नियंत्रित पदों के लिए कर्मचारियों के पारस्परिक स्थानांतरण के लिए मंडल नियंत्रित पदों के लिए पूरी शक्तियां-मंडल रेल प्रबंधक को, कारखाना संवर्ग के लिए पूरी शक्तियां- मुख्य कारखाना प्रबंधक को ।

(प्राधिकार : एमएसओपी, 2018 की मद 10(डी))

12. एक इकाई से दूसरी इकाई में स्थानांतरित रेल कर्मचारियों के निजी रिकॉर्डों का स्थानांतरण

जहां रेल कर्मचारी को एक रेलवे इकाई से दूसरी रेलवे इकाई में स्थानांतरित किया गया है, संबंधित रेलवे कर्मचारी के स्थानांतरण दस्तावेज़, सभी प्रकार से पूर्ण, शीघ्रता से उस कार्यालय को अग्रेषित किए जाने चाहिए, जहां उसे स्थानांतरित किया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कर्मचारी को दस्तावेज़ों की अनुपलब्धता के कारण कोई कठिनाई/मुश्किल का सामना न करना पड़े।

(संदर्भ: बोर्ड का दिनांक 25.8.84 का पत्र सं. 84/एसीII/21/2 और दिनांक 21.11.2001 का पत्र सं. ई(एनजी)I-2001/टीआर/16)

13. सामान्य :

सामान्यतः एक रेल कर्मचारी अपनी पूरी सेवा के दौरान रेलवे अथवा रेलवे संस्थान में नियुक्त किया जाएगा जहां उसे अपनी पहली नियुक्ति पर तैनात किया गया था और उसके पास किसी अन्य रेलवे या संस्थान में स्थानांतरण के लिए अधिकार का कोई दावा नहीं होगा। सेवा की अत्यावश्यकताओं में, रेल कर्मचारी को भारत में या भारत से बाहर किसी परियोजना सहित किसी अन्य विभाग या रेलवे या रेलवे संस्थान में स्थानांतरित करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास होगा। अराजपत्रित रेलवे कर्मचारी के संबंध में, उन्हें भारत के भीतर स्थानांतरित करने की शक्ति का प्रयोग महाप्रबंधक अथवा निम्न स्तर के प्राधिकारी द्वारा किया जा सकता है, जिसे शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं।

(संदर्भ: भारतीय रेल स्थापना संहिता, जिल्द I, 1985 संस्करण का पैरा 226)

13.1 सक्षम प्राधिकारी एक रेल कर्मचारी को एक पद से दूसरे पद पर स्थानांतरित कर सकता है, बशर्ते कि, रेल कर्मचारी को पूर्ण रूप से स्थानांतरित नहीं किया जाएगा या, दोहरे प्रभार के मामले को छोड़कर, उस स्थायी पद के वेतन से कम वेतन वाले पद पर कार्य करने के लिए नियुक्त किया जाएगा जिस पर वह धारणाधिकार (लियन) रखता है या धारणाधिकार रखता होगा, यदि उसे निलंबित नहीं किया गया होता। बहरहाल, यह प्रावधान वहां लागू नहीं होगा, जहां किसी कर्मचारी का रेलवे में निम्न कारणों से स्थानांतरित किया जाना हो -

(i) अदक्षता या दुर्व्यवहार के कारण अथवा

(ii) उसके लिखित अनुरोध पर।

(संदर्भ: भारतीय रेल स्थापना संहिता, जिल्द I, 1985 संस्करण का पैरा 227)

13.2 किसी भी अंतर-रेलवे/अंतर-मंडल स्थानांतरण पर तब तक विचार नहीं किया जाएगा। जब तक रेलवे में नियुक्ति के पांच (05) वर्ष पूरे नहीं हो जाते। बहरहाल, पारस्परिक अदला-बदली के आधार पर स्थानांतरण, पति/पत्नी के आधार पर स्थानांतरण, दिव्यांग बच्चे की देखभाल करने के आधार पर स्थानांतरण, दिव्यांग रेलवे कर्मचारी के स्थानांतरण और अनुकंपा आधार पर नियुक्त विधवाओं के स्थानांतरण के मामले में, 05 वर्ष की न्यूनतम शर्त में छूट है।

टीएडीके के किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरण के लिए, नियुक्ति अधिकारी के साथ, 5 वर्ष की न्यूनतम समय सीमा लागू नहीं होती है और मामले की परिस्थितियों के अनुसार, ऐसे टीएडीके का स्थानांतरण 5 वर्ष से पहले भी किया जा सकता है।

(संदर्भ बोर्ड का दिनांक 31.08.2015 का पत्र सं. ई(ओ)III-2014/पीएल/05, दिनांक 04.01.2016 का पत्र सं. ई(ओ)III-2014/पीएल/05, दिनांक 10.2.2017 और दिनांक 07.06.2019 का पत्र सं. ई(एनजी)I-2015/टीआर/20)

13.3 रेलवे भर्ती बोर्ड को मांगपत्र भेजते समय, विभिन्न मंडलों/रेलों में स्थानांतरण के लिए आवेदन देने वाले विभिन्न कोटियों के कर्मचारियों की संख्या के आधार पर आवश्यक अतिरिक्त अभ्यर्थियों की सीमा को ध्यान में रखा जाना चाहिए और भर्ती की जानी चाहिए ताकि प्रतिस्थापनों की उपलब्धता होने पर बिना किसी बाधा के स्थानांतरण हो सके।

(संदर्भ: बोर्ड का दिनांक 11.1.71 का पत्र सं. ई(एनजी)II/70/आरआर/31 और दिनांक 6.6.83 का पत्र सं. ई(एनजी)I-83/टीआर/26)

13.4 आवधिक स्थानांतरण की योजना के मूल उद्देश्यों में स्थानांतरित किए जा रहे कर्मचारियों के बच्चों के शैक्षणिक सत्र को भी ध्यान में रखा जाए।

(संदर्भ:- बोर्ड का दिनांक 04.03.2010 का पत्र सं. ई(एनजी)I-2009/टीआर/7)

13.5 अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति से संबंधित कर्मचारियों का बारंबार एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण नहीं किया जाना चाहिए। इन समुदायों से संबंधित कर्मचारियों की तैनाती उनके आरंभिक नियुक्ति/पदोन्नतियों/स्थानांतरणों को, जहां तक व्यावहारिक हो उनके मूल जिले में अथवा आस-पास के जिलों अथवा स्थानों पर, जहां रेल प्रशासन उनकी पात्रता के अनुसार उन्हें आवास प्रदान कर सके, तक परिसीमित रखा जाए।

(संदर्भ:- बोर्ड का दिनांक 19.11.70 का पत्र सं. ई(एससीटी)70सीएम15/15/3, दिनांक 14.1.75 का पत्र सं. ई(एससीटी)74सीएम15/58, दिनांक 6.7.78 का पत्र सं. 78-ई(एससीटी)15/25, दिनांक 24.12.85 का पत्र सं. 85-ई(एससीटी)I-43/1 तथा दिनांक 19.6.2018 का पत्र सं. 2018-ई(एससीटी)I/25/10)

14. वे रेल कर्मचारी, जो रेल सुरक्षा बल और रेल सुरक्षा विशेष बल के सदस्य हैं, उनका स्थानांतरण रेल सुरक्षा बल नियम, 1987 के प्रावधानों द्वारा शासित होगा।

15. 15 अगस्त, 2022 को एचआरएमएस के स्थानांतरण मॉड्यूल की शुरुआत के साथ, नए के साथ-साथ मौजूदा सभी स्थानांतरण अनुरोध (अंतर रेलवे तथा अंतर मंडल) अब से केवल एचआरएमएस द्वारा ही प्राप्त किए जाएंगे तथा संसाधित किए जाएंगे।

(संदर्भ:- बोर्ड का दिनांक 11.08.2022 का पत्र सं. पीसी-VII/2022/एचआरएमएस/15)


16. (i) इस मास्टर परिपत्र का संदर्भ लेते समय, यहां उल्लिखित मूल पत्रों को उचित सहमति के लिए पढ़ा जाए। यह मास्टर परिपत्र केवल मौजूदा अनुदेशों का एक समेकन है और इसे मूल परिपत्रों के प्रतिस्थापन के रूप में न समझा जाए। संदेहास्पद स्थिति में, मूल परिपत्रों पर प्राधिकार के रूप में विश्वास किया जाना चाहिए;

(ii) संदर्भित मूल परिपत्रों में निहित अनुदेशों का उनके जारी होने की तारीख से केवल संभावित प्रभाव होगा, जब तक कि अन्यथा इंगित न किया गया हो;

(iii) यदि इस विषय पर कोई परिपत्र जिसे अधिक्रमित नहीं किया गया है, मास्टर परिपत्र तैयार करने में कथित परिपत्र लापरवाही के कारण छूट गया है, उसे नजरंदाज नहीं किया जाना चाहिए बल्कि इसे वैध एवं प्रवर्ती माना जाना चाहिए।

17. जिन पत्रों तथा अन्य संदर्भों के आधार पर मास्टर परिपत्र तैयार किया गया है, वे संलग्नक में दर्शाए गए हैं।

कृपया पावती दें।


(संजय कुमार)

उप निदेशक स्थापना (अराज.)

रेलवे बोर्ड

निम्नलिखित परिपत्रों/पत्रों से समेकन किया गया है:

क्र.सं. पत्र/परिपत्र

- 1 ई(एल)60यूटी1-31 दिनांक 19.2.60
- 2 ई(एल)61/पीई1/43 दिनांक 31.07.61
- 3 ई(एल) 64यूटी1-113 दिनांक 06.10.64
- 4 ई(एल) 64यूटी1-113 दिनांक 21.11.64
- 5 ई(एससीटी)70 सीएम15/15/3 दिनांक 19.11.70
- 6 ई(एनजी)II/77/टीआर/14 दिनांक 10.1.71
- 7 ई(एनजी)II/70/आरआर/31 दिनांक 11.1.71
- 8 ई(एनजी)II-77/टीआर/14 दिनांक 1.1.71
- 9 ई(एनजी)II/71/टीआर/1 दिनांक 31.3.71
- 10 ई(एससीटी)74सीएम15/58 दिनांक 14.1.75
- 11 ई(एल) 75/यूटी1-176 दिनांक 08.08.75
- 12 ई(एनजी)II/77/टीआर/21 दिनांक 10.06.77
- 13 ई(एनजी)II/77/टीआर/112 दिनांक 6.2.78 एवं 27.5.78
- 14 78-ई(एससीटी) 15/25 दिनांक 6.7.78
- 15 ई(एनजी)II/78/टीआर/85 दिनांक 27.4.79
- 16 ई(एनजी)II/78/टीआर/82 दिनांक 7.2.80
- 17 ई(एनजी)II/80/टीआर/28 दिनांक 22.8.80, 31.12.81, 19.2.86, 16.10.87
- 18 ई(एनजी)I-81/टीआर/19 दिनांक 23.5.81
- 19 ई(प्रतिनिधि)I-83 एडी1/विविध/स्टाफ ग्रिव. दिनांक 25.5.83
- 20 ई(एनजी)I-83/टीआर/26 दिनांक 6.6.83
- 21 84/एसीआईआई/21/2 दिनांक 25.8.84
- 22 85-ई(एससीटी)आई-43/1 दिनांक 24.12.85
- 23 ई(एनजी)I-86/टीआर/14 दिनांक 6.1.88
- 24 ई(प्रतिनिधि)II/88AE/12/6/115 दिनांक 7.6.88
- 25 ई(एनजी)I/80/टीआर/28 दिनांक 21.7.88
- 26 ई(एनजी)II/87/टीआर/34/एनएफआईआर/जेसीएम/डीसी दिनांक 27.9.89
- 27 ई(एनजी)I-94/टीआर/29 दिनांक 2.5.95
- 28 ई(एनजी)I-97/टीआर/28 दिनांक 5.11.97
- 29 97-ई(एससीटी)II/22/12 दिनांक 05.03.1999
- 30 ई(एनजी)I-99/टीआर/15 दिनांक 8.2.2000,
- 31 ई(एनजी)I-2001/टीआर/16 दिनांक 21.11.2001
- 32 ई(एनजी)I-2001/टीआर/22 दिनांक 21.5.2002
- 33 ई(एनजी)I-2002/टीआर/19 दिनांक 13.9.2002 एवं 23.2.2006
- 34 ई(एनजी)I-2004/टीआर/22 दिनांक 23.10.2006 एवं 25.09.2016

- 35 ई(एनजी)I-2004/टीआर/16 दिनांक 14.08.2007 एवं 22.10.2007
- 36 ई(एलआर)III/2004/यूटीएफ-2 दिनांक 11.01.2005
- 37 ई(एनजी)I-94/टीआर/29 दिनांक 28.3.2005
- 38 ई(एनजी)I-2006/टीआर/6 दिनांक 21.04.2006
- 39 ई(एनजी)I-2006/टीआर/6 दिनांक 21.04.2006
- 40 ई(एनजी)I-2006/टीआर/18 दिनांक 25.09.2007
- 41 ई(एनजी)I-2007/टीआर/27 दिनांक 1.4.2009
- 42 ई(एनजी)I-2009/टीआर/29 दिनांक 02.02.2010
- 43 ई(एनजी)I-2009/टीआर/7 दिनांक 04.03.2010
- 44 2011/ई(स्पोर्ट्स)/4(3)/4(स्थानांतरण नीति) दिनांक 17.02.2011, 25.05.2011 एवं 07.03.2012
- 45 2011/ई(स्पोर्ट्स)/4(1)/1/नीति स्पष्टीकरण दिनांक 24.02.2011
- 46 ई(ओ)III/2014/पीएल/05 दिनांक 04.01.2016
- 47 ई(ओ)III-2014/पीएल/05 दिनांक 31.08.2015,
- 48 ई(एनजी)I-2014/टीआर/14 दिनांक 07.04.2015
- 49 ई(एनजी)I-2015/टीआर/15 दिनांक 02.03.2016
- 50 ई(एनजी)I-2015/टीआर/20 दिनांक 10.2.2017 एवं 07.06.2019
- 51 ई(एनजी)I-2017/टीआर/24 दिनांक 10.03.2022 एवं 23.03.2022
- 52 ई(एनजी)I-2017/टीआर/23 दिनांक 18.08.2017
- 53 ई(एनजी)I-2017/टीआर/24 दिनांक 22.09.2017
- 54 2017/ई(स्पोर्ट्स)/4(1)/6/स्थानांतरण नीति दिनांक 18.09.2017
- 55 ई(एनजी)I-2017/टीआर/24 दिनांक 09.05.2018
- 56 ई(एनजी)I-2017/टीआर/19 दिनांक 06.07.2018
- 57 ई(एनजी)I-2018/टीआर/12 दिनांक 27.12.2018 एवं 24.08.2018
- 58 2018-ई(एससीटी)I/25/10 दिनांक 19.6.2018
- 59 ई(एनजी)I-2018/टीआर/14 दिनांक 17.9.2018
- 60 ई(एनजी)I-2018/टीआर/8 दिनांक 26.10.2018
- 61 ई(एनजी)I-2018/टीआर/8 दिनांक 11.01.2019
- 62 ई(एनजी)I-2019/टीआर/11 दिनांक 20.09.2019
- 63 ई(एनजी)I-2015/टीआर/20 दिनांक 23.04.2019
- 64 ई(एनजी)I-2019/टीआर/6 दिनांक 26.04.2019
- 65 ई(एनजी)I/2019/ पी एम 2/18 सीसी दिनांक 26.11.2019
- 66 ई(एनजी)I-2020/टीआर/8 दिनांक 18.08.2020
- 67 ई(एनजी)I/2020/ टीआर/16 दिनांक 01.10.2020
- 68 ई(एनजी)I-2018/टीआर/14 दिनांक 10.06.2022
- 69 पीसी-VII/2022/ एचआरएमएस /15 दिनांक 11.08.2022